

वित्तीय समितियां  
(2017-2018)

एक समीक्षा

लोक लेखा समिति,  
प्राक्कलन समिति और  
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति



लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली  
2018

वित्तीय समितियां  
(2017-18)

(एक समीक्षा)

लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति  
और  
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति



लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

अगस्त, 2018/श्रावण, 1940 (शक)

पीएँसी संं 2151

मूल्य: ₹ 172.00

© 2018 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110 002 द्वारा मुद्रित।

## विषय-सूची

	पृष्ठ
आमुख .....	(iii)
अध्याय-एक लोक लेखा समिति .....	1
अध्याय-दो प्राक्कलन समिति .....	11
अध्याय-तीन सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति .....	19
<b>परिशिष्ट</b>	
एक. लोक लेखा समिति (2017-18) की संरचना .....	23
दो. लोक लेखा समिति (2017-18) द्वारा जांच हेतु चयन किए गए विषय .....	24
तीन. लोक लेखा समिति (2017-18) की उप-समितियों की संरचना .....	73
चार. लोक लेखा समिति (2017-18) की बैठकों की तिथियों एवं उनकी अवधि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण (मूल समिति) .....	75
पांच. लोक लेखा समिति (2017-18) के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति की संख्या दर्शाने वाला विवरण .....	84
छह. लोक लेखा समिति (2017-18) की उप समितियों की बैठकों की तिथियों और अवधि को दर्शाने वाला विवरण .....	87
सात. लोक लेखा समिति (2017-18) की उप-समिति एक के अध्ययन दौरे के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण .....	101
आठ. प्राक्कलन समिति (2017-18) की संरचना .....	108
नौ. प्राक्कलन समिति (2017-18) की बैठकों की अवधियां, सदस्यों की उपस्थिति तथा चर्चा किए गए विषयों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण .....	110
दस. प्राक्कलन समिति (2017-18) की बैठकों की संख्या तथा प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति को दर्शाने वाला विवरण .....	113
ग्यारह. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2017-18) की संरचना .....	115
बारह. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2017-18) की बैठकों की अवधियां, सदस्यों की उपस्थिति तथा चर्चा किए गए विषयों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण .....	116
तेरह. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2017-18), इसकी अवधि आरंभ होने से लेकर 30 अप्रैल, 2018 तक हुई बैठकों की कुल संख्या और समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा कितनी बैठकों में भाग लिया गया, इसको दर्शाने वाला विवरण .....	127

## आमुख

इस पुस्तिका का उद्देश्य संसद की तीन वित्तीय समितियों, नामतः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 1 मई 2017 से 30 अप्रैल, 2018 तक के कार्यकलापों संबंधी समस्त संगत जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है।

2. सुलभ संदर्भ सुविधा के लिए, सांख्यिकीय आंकड़े तालिकाओं और परिशिष्टों में दिए गए हैं।

नई दिल्ली;  
अगस्त, 2018  

---

श्रावण, 1940 (शक)

स्नेहलता श्रीवास्तव  
महासचिव

## अध्याय एक लोक लेखा समिति

### एक. निर्वाचन और संरचना

वर्ष 2017-18 के लिए लोक लेखा समिति का गठन 1 मई, 2017 को किया गया था। इस समिति के लिए संबंधित सभाओं के सदस्यों में से, लोक सभा के पन्द्रह सदस्यों और राज्य सभा के सात सदस्यों का चयन किया गया था। इस समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त हुआ।

1.2 श्री मल्लिकार्जुन खरगे, संसद सदस्य (लोक सभा) और समिति के सदस्य को अध्यक्ष द्वारा सभापति के रूप में नियुक्त किया गया, देखिए 1 मई, 2017 का समाचार भाग-दो संख्या 5297 उक्त समिति (2017-18) की संरचना परिशिष्ट-एक में दी गई है।

1.3 राज्य सभा के दो सदस्यों, श्री नरेश अग्रवाल और श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी ने दिनांक 02.04.2018 को समिति से त्यागपत्र दे दिया और लोक सभा के एक सदस्य श्री नेफिउ रियो, लोक सभा सदस्य ने लोक सभा से अपने त्यागपत्र की स्वीकृति के पश्चात् 22.02.2018 को समिति से त्यागपत्र दे दिया, इसके साथ-साथ राज्य सभा के दो सदस्यों (श्री शान्तराम नाईक और सुखेन्दु शेखर रॉय) ने भी अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् क्रमशः 28.7.2017 और 18.8.2017 को समिति से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात्, श्री सुखेन्दु शेखर रॉय पुनः 29.12.2017 को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और श्री मोहम्मद अली खान, संसद सदस्य (राज्य सभा) भी 29.12.2017 को निर्वाचित हुए।

### दो. जांच हेतु चयनित विषय

1.4 लोक लेखा समिति ने श्रेणी में 2017-18 के दौरान जांच हेतु कुल 344 विषयों/लेखा परीक्षा पैराओं (देखिए, दिनांक 22 मई, 2017 समाचार भाग-II सं० 5312) और श्रेणी II में 7 विषयों का चयन किया था, जिसे परिशिष्ट-दो में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इन विषयों का ब्यौरा परिशिष्ट-दो में दिया गया है। दिनांक 09.05.17 को आयोजित अपनी बैठक में समिति ने आरम्भ में ज्ञापन सं० 1 के द्वारा श्रेणी-I के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 189 विषयों का (विषयों को पिछली समिति से लिया गया और नए रूप में चयनित किया गया) और श्रेणी-II के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 7 विषयों का (विषयों का चयन स्वप्रेरण से किया गया) चयन जांच के लिए किया गया था, जिसे दिनांक 22 मई, 2017 के समाचार भाग-दो सं० 5312 द्वारा अधिसूचित किया गया था और 148 विषय पिछली समिति से पुनः चयनित किए गए थे। इस प्रकार वर्ष 2017-18 के दौरान समिति द्वारा जांच के लिए कुल 344 विषयों का चयन किया गया था।

### तीन. उप-समितियों और उप-समूहों का गठन

1.5 वर्ष 2017-18 के कार्यकाल के लिए आबंटित विषयों की जांच के लिए लोक लेखा समिति की आठ उप-समितियों का गठन किया गया था। उप-समिति एक से आठ के गठन की अधिसूचना

दिनांक 22 मई, 2017 के समाचार भाग-दो सं० 5311 द्वारा अधिसूचित कर दी गई थी। तदुपरांत, उप-समितियों एक से आठ को विषयों आबंटन की अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2017 के समाचार भाग दो सं० 5311 द्वारा अधिसूचित कर दी गई। उप-समितियों की संरचना परिशिष्ट-III में दी गई है। इन उप-समितियों को निम्नलिखित विषयों की जांच का कार्य सौंपा गया था, जिन्हें प्रत्येक उप-समिति के समक्ष दर्शाया गया है।

**वर्ष 2017-18 के दौरान जांच के लिए उप-समितियों को आबन्धित विषय**

लोक लेखा समिति की निम्नलिखित उप-समितियों (2017-18) का गठन लोक लेखा समिति के सभापति द्वारा विषयों की जांच के लिए जैसा कि क्रमशः उनमें से प्रत्येक को आगे दर्शाया गया है, वर्ष 2017-18 के कार्यकाल के दौरान किया गया है।

(एक) उप-समिति-एक (रक्षा) (एक) वर्ष 2013 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 30 के पैरा 2.1 पर आधारित 'रक्षा भूमि का अनुचित प्रबंधन'; (दो) वर्ष 2013 के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन सं० 30 के पैरा 2.5 पर आधारित 'प्रभावकारी नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप बकाया राशियों की गैर-वसूली'; (तीन) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं० 30 के पैरा 3.5 पर आधारित 'मकानों में अप्राधिकृत सुदृढीकरण उपायों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त व्यय'; (चार) वर्ष 2013 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 30 के पैरा 6.3 पर आधारित 'विनिमय दर परिवर्तन की अनुमति देकर एक विदेशी आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ'; (पांच) वर्ष 2013 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 30 के पैरा 6.4 पर आधारित 'निविदा जांच और ठेका में शर्तों को शिथिल करके एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ'; (छह) वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 34 के पैरा 2.1 पर आधारित 'प्रशिक्षण वायुयान की अधिप्राप्ति'; (सात) वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 34 के पैरा 2.3 'प्रोक्वोरमेंट एयर कॉम्बैट मेनुवरिंग इंस्ट्रुमेंटेशन सिस्टम की अधिप्राप्ति'; (आठ) वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 34 के पैरा सं० 2.4 पर आधारित 'टारपीडो के प्रापण में अलाभद्र निवेश'; (नौ) वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 35 के पैरा सं० 2.1 पर आधारित 'ट्यू वाहन के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब'।

संयोजक	:	1.	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
वैकल्पिक संयोजक	:	2.	रिव्त <sup>1</sup>
सदस्य	:	3.	श्रीमती रीति पाठक
		4.	श्री भर्तृहरि महताब
		5.	श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
		6.	श्री निशिकान्त दुबे
		7.	श्री मोहम्मद अली खान

(दो) उप-समिति-दो (रेल) (एक) वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 19 के अध्याय-तीन पर आधारित "भारतीय रेल में परियोजनाओं का लेखांकन";

(दो) वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 26 के पैरा 2.1 पर आधारित

<sup>1</sup> श्री नेफिउ रियो द्वारा लोक सभा से दिए गए त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के पश्चात् वे 22 फरवरी, 2018 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

“ भारतीय रेल में तुलासेतुओं का निष्पादन”; (तीन) वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 31 पर आधारित ‘ भारतीय रेलवे में मालगाड़ियों का प्रबन्धन; ( सम्पूर्ण प्रतिवेदन) और ( चार) वर्ष 2015 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 24 ( भाग-दो) के अध्याय 4 पर आधारित ‘ भारतीय रेलवे में खाली पड़ी जमीन का प्रबन्धन’

संयोजक	:	1.	डॉ किरीट सोमैय्या
वैकल्पिक संयोजक	:	2.	श्री नरेश अग्रवाल
सदस्य	:	3.	श्री भुवनेश्वर कालिता
		4.	श्री सुभाष चन्द्र बहेरिया
		5.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर
		6.	प्रो० राम शंकर

(तीन) उप-समिति-तीन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर) (एक) वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 8 के पैरा 1.35 के आधार पर “ कर बकाया”; (दो) वर्ष 2015 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 3 अध्याय-तीन पर आधारित “ कॉर्पोरेशन-टैक्स”; (तीन) वर्ष 2015 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 4 अध्याय-दो पर आधारित “ बीमा क्षेत्र में सेवा कर देयता”; (चार) वर्ष 2015 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 4 अध्याय-तीन पर आधारित “ पत्तन क्षेत्र में सेवा कर देयता”; (पांच) वर्ष 2015 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 8 अध्याय-पांच पर आधारित ‘सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत उपयोग’; (छह) वर्ष 2013 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 28 पर आधारित “ शास्ति और अभियोजन के प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा”; (सात) वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 12 के अध्याय 6 पर आधारित “ नशीले पदार्थों के प्रबंधन”; (आठ) वर्ष 2015 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 5 पर आधारित “ औषधि क्षेत्र में निर्धारितियों के निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा”; (नौ) वर्ष 2015 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 26 पर आधारित “ निर्माण कार्य अनुबंध पर सेवा कर की उगाही और संघ सरकार, राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर सेवा कर”; (दस) वर्ष 2015 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 46 पर आधारित “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में स्वचालन की कार्य प्रणाली”; (ग्यारह) वर्ष 2016 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 6 पर आधारित ‘ प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढ़ी हुई धातु और उसकी वस्तुएं, कृत्रिम गहनें, सिक्के (सीटीएच का अध्याय-II) पर निष्पादित लेखापरीक्षा’, (बारह) वर्ष 2016 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 22 पर आधारित “ स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा-संघ अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर”; और (तेरह) वर्ष 2017 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं० 27 पर आधारित “ निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम/मेडिकल क्लिनिक, चिकित्सा महाविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों, डायग्नॉस्टिक केन्द्रों, पैथालॉजिकल लैब तथा अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियां/स्टोर से संबंधित उप-समिति-तीन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर) का आकलन”।

संयोजक	:	1.	श्री निशिकान्त दुबे
वैकल्पिक संयोजक	:	2.	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी



- सदस्य: 3. श्री शिवकुमार सी० उदासि  
4. श्री भूपेन्द्र यादव  
5. श्री सुखेन्दु शेखर राय  
6. श्री अजय संचेती

(चार) उप-समिति चार (सिविल और की-गई-कार्रवाई टिप्पण के समय पर प्रस्तुतीकरण का अनुपालन न किया जाना

(उप-समिति द्वारा विशिष्ट विषयों का निर्धारण किया जाएगा।)

- संयोजक : 1. श्री भर्तृहरि महताब  
वैकल्पिक संयोजक : 2. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर  
सदस्य : 3. श्री निशिकान्त दुबे  
4. डॉ० पी० वेणुगोपाल  
5. श्री अजय संचेती  
6. श्री शिवकुमार सी. उदासि  
7. श्री मोहम्मद अली खान

(पांच) उप-समिति-पांच (रेलवे के अतिरिक्त अवसंरचनात्मक परियोजनाएं) जांच के लिए वर्ष 2014 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं० 4 के पैरा 3.5 पर आधारित “ भारतीय वायु सेना में हवाई क्षेत्र संभारतंत्र/रनवे की उपलब्धता”। (दो) वर्ष 2014 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं० 27 के पैरा 6.4 पर आधारित “म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन हेतु मॉडल सुविधाओं की स्थापना न होना।” (तीन) वर्ष 2016 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा 10.1 पर आधारित ‘हॉस्टल ब्लॉकों को क्षति के कारण 5.97 करोड़ की हानि’ और (छह) वर्ष 2016 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं० 24 के पैरा 2.1 पर आधारित ‘अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटक आवास और अन्य आधारभूत संरचनाओं की स्थापना संबंधी विषयों की जांच के लिए।’

- संयोजक : 1. श्री सुखेन्दु शेखर राय  
वैकल्पिक संयोजक : 2. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा  
सदस्य : 3. श्री अभिषेक सिंह  
4. श्री अनुराग सिंह ठाकुर  
5. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी  
6. प्रो० रामशंकर

(छह) उप-समिति-छह (सामाजिक क्षेत्र) निम्नवत् विषयों की जांच के लिए—(एक) वर्ष 2013 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं० 6 पर आधारित “महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)” और वर्ष 2016 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं० 8 पर आधारित “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नियम, 2011” (सामाजिक लेखापरीक्षा नियम); (दो) वर्ष 2015 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं० 28 पर आधारित “संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा”; (तीन) वर्ष 2015 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं० 54 पर आधारित “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी”; और (चार) वर्ष 2016 के सीएंडएजी के

प्रतिवेदन सं० 23 पर आधारित “प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विषयों के जांच से संबंधित उप-समिति छह ( सामाजिक क्षेत्र)

संयोजक	:	1. श्री शिवकुमार सी० उदासि
वैकल्पिक संयोजक	:	2. डॉ० पी० वेणुगोपाल
सदस्य	:	3. रिक्त <sup>2</sup>
		4. श्री नरेश अग्रवाल
		5. श्री गजानन कीर्तिकर
		6. श्री भुवनेश्वर कालिता

( सात) उप-समिति सात ( पीपीपी परियोजनाएं)

संयोजक	:	1. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
	:	2. श्री भर्तृहरि महताब
सदस्य	:	3. डॉ० किरिट सोमैया
		4. डॉ० पी० वेणुगोपाल
		5. श्री निशिकांत दुबे
		6. श्री गजानन कीर्तिकर

( आठ) उप-समिति आठ ( वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए के जी-डी डब्ल्यू एन-98/3 ब्लॉक के लिए हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध की अनुवर्ती लेखापरीक्षा)

संयोजक	:	1. श्री सुखेन्दु शेखर राय
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री निशिकांत दुबे
सदस्य	:	3. श्री भर्तृहरि महताब
		4. डॉ० पी० वेणुगोपाल
		5. श्री अजय संचेती
		6. श्री भुवनेश्वर कालिता

चार. किए गए कार्य की समीक्षा

( क) समिति/उप-समितियों/उप-समूह की बैठकें

1.6 समीक्षा अवधि के दौरान 82 बैठकें हुई ( मुख्य समिति की 24 बैठकें और उप-समितियों की 58 बैठकें ) इन बैठकों की कुल अवधि 111 घंटे और 35 मिनट रही जिसमें मुख्य समिति की बैठकें 70 घंटे और 50 मिनट और उप-समितियों की बैठकें 40 घंटे और 45 मिनट तक चलीं। प्रत्येक बैठक की तिथि और अवधि, बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या और उसमें चर्चा किए गए विषयों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-चार में दिया गया है। समिति की उन बैठकों, जिनमें प्रत्येक सदस्य ने भाग लिया, की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-पांच में दिया गया है। इसी प्रकार, उप-समितियों की बैठकों की तिथियों और अवधि का ब्यौरा परिशिष्ट-छह में दिया गया है।

<sup>2</sup> श्री नेफिउ रियो द्वारा लोक सभा से दिए गए त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के पश्चात् वे 22 फरवरी, 2018 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

## (ख) विनियोग लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच

1.7 लोक लेखा समिति ने लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच के दौरान, सिविल, डाक सेवाओं, रक्षा सेवाओं और रेलवे से संबंधित केन्द्र सरकार के वर्ष 2015-16 के चार विनियोग लेखाओं की जांच करने के अलावा, भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट विभिन्न पैराओं से संबंधित संगत सामग्री का अध्ययन किया।

## (ग) तत्स्थानिक अध्ययन हेतु दौरे

1.8 लोक लेखा समिति (2017-18) ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं/विभागों/संगठन के कार्यकरण की जानकारी स्वतः प्राप्त करने के लिए तीन तत्स्थानिक अध्ययन दौरे किए। इस अवधि के दौरान समिति ने जिन संगठनों/स्थानों का दौरा किया, उनका ब्यौरा परिशिष्ट-सात में दिया गया है।

## (घ) कार्यवाही और कार्यवाही सारांश

1.9 समिति की बैठकों जिनमें साक्षी समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुए, की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया था। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश तैयार किए गए और संबंधित प्रतिवेदनों के साथ सभा को प्रस्तुत किए गए।

पांच. प्रतिवेदन, जिन्हें अंतिम रूप दिया गया और प्रस्तुत किया गया

## (क) मूल प्रतिवेदन

1.10 समीक्षा अवधि के दौरान समिति ने कुल मिलाकर 28 प्रतिवेदनों (12 मूल प्रतिवेदन और 16 की-गर्ड-कार्रवाई प्रतिवेदन) को अंतिम रूप दिया और सभा में प्रस्तुत किया:—

क्रम सं०	प्रतिवेदन सं०	विषय	प्रस्तुत किए जाने की तिथि
1	2	3	4
1.	75वां	सीमाशुल्क पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात व्यापार सुविधा का निष्पादन	18.07.2017
2.	78वां	संकटग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण कोष	18.07.2017
3.	85वां	जनजातीय उप-योजना	18.12.2017
4.	87वां	भारतीय रेल में पुलों का रखरखाव	09.12.2018
5.	88वां	स्वीकृत अनुदानों और प्रभावित विनियोजनों से अधिक व्यय (2015-16)	09.12.2018
6.	89वां	डाक विभाग द्वारा अनुपालन न किया जाना	09.12.2018
7.	90वां	विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का निष्पादन	28.03.2018
8.	92वां	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	28.03.2018
9.	93वां	भारतीय रेल में रिक्त भूमि का प्रबंधन	28.03.2018

1	2	3	4
10.	94वां	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का कार्यकरण और 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता के अकादमिक कार्यकलाप	28.03.2018
11.	95वां	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	28.03.2018
12.	96वां	स्वापक पदार्थों का प्रबंधन	28.03.2018

## (ख) की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

1.11 निम्नलिखित 16 की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को भी सभा में प्रस्तुत किया गया:—

क्रम सं०	प्रतिवेदन सं०	विषय	प्रस्तुत किए जाने की तिथि
1	2	3	4
1.	76वां	“इंदिरा आवास योजना” संबंधी तैतालीस प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	18.07.2017
2.	77वां	“केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर में अभियोजन और शास्तियों का प्रशासन” संबंधी तिरसठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	18.07.2017
3.	79वां	“आदर्श कोओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मुंबई” संबंधी इक्यानवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	18.07.2017
4.	80वां	“सेंटर बफर कपलर (सीबीसी) कंपोनेंट्स के खराब होने के कारण ट्रेन पार्टिंग संबंधी हानि से संबंधित 41 वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा)” पर की-गई-कार्रवाई	11.08.2018
5.	81वां	“अनुराग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय” संबंधी चौवालीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	11.08.2018
6.	82वां	“शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट योजना का निष्पादन” संबंधी पैतालीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	18.12.2017
7.	83वां	“भारत संचार निगम लिमिटेड में भूमि प्रबंधन” संबंधी तिरपनवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	18.12.2017

1	2	3	4
8.	84वां	“स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों से अधिक व्यय (2012-13)” संबंधी उन्नीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	18.12.2017
9.	86वां	“भारतीय रेलवे में लौह अयस्क के परिवहन के लिए दोहरी मालभाड़ा नीति की निष्पादन लेखापरीक्षा” संबंधी साठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	18.12.2017
10.	91वां	“स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं” संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	28.03.2018
11.	97वां	“सीमाशुल्क पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात व्यापार सुविधा का निष्पादन” संबंधी पचहत्तरवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	28.03.2018
12.	98वां	“रत्ना एवं आर-सीरीज़ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र” संबंधी बासठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	28.03.2018
13.	99वां	“भारतीय रेलवे में उप-नगरीय रेल सेवाएं” संबंधी उनहत्तरवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	28.03.2018
14.	100वां	भारतीय रेलवे में वाणिज्यिक प्रचार” संबंधी सत्तरवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	28.03.2018
15.	101वां	“साझा मोबाइल अवसंरचना योजना” संबंधी चौसठवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) परकी-गई-कार्रवाई	28.03.2018
16.	102वां	“भारत में आपदा से निपटने की तैयारी” संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्रवाई	28.03.2018

1.12 निम्नलिखित तालिका में समिति द्वारा अपने पूर्व प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों जिनके संबंध में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के दौरान प्रस्तुत किए गए थे, के संबंध में

सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विश्लेषण दर्शाया गया है:—

सिफारिशों की कुल संख्या	सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की कुल संख्या जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती थी	सिफारिशों की कुल संख्या जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता थी	सिफारिशों की कुल संख्या जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
186	156 (83%)	08 (4.30%)	11 (5.91%)	11 (5.91%)

#### छह. सचिवालय

1.13 लोक लेखा समिति शाखा समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करती है। तीन उप-सचिवों के अलावा एक अपर सचिव, एक निदेशक और एक अवर सचिव ने शाखा के कार्यकरण की निगरानी की। अपर सचिव समिति सचिवालय के समग्र प्रभारी रहे।

1.14 लोक लेखा समिति ने सापेक्ष महत्व के आधार पर गहन जांच के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/पैराओं का चयन किया। समिति ने जांच के लिए निम्नलिखित विषयों का चयन स्वप्रेरणा से किया।

- (i) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल के तहत सरकारी व्यय की जांच
- (ii) भारतीय अवसंरचना ऋण निधियां; मौद्रिक नीति की समीक्षा;
- (iii) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- (iv) रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण;
- (v) निजी संस्थानों में अशोध ऋण;
- (vi) मौद्रिक नीति की समीक्षा;
- (vii) पीपीपी परियोजना।

1.15 वर्ष 2017-18 के दौरान सचिवालय ने संघ सरकार के वर्ष 2015-16 के चार विनियोग लेखाओं की जांच की और प्रेस सूचना, वेबसाइट, संसद में प्रश्न/वाद-विवाद, विषयों से संबंधित साहित्य और प्रकाशनों जैसी अन्य संगत सामग्रियों का अध्ययन करने के अलावा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/पैराओं/ज्ञापनों का विस्तृत अध्ययन भी किया। इस प्रकार कराए गए अध्ययनों के आधार पर सचिवालय ने संबंधित मंत्रालय/विभागों से और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियां तैयार कीं। प्रश्नावलियों को स्वीकृति मिलने के बाद उसके संबंध में उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, समिति के सदस्यों को साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा

प्रश्न-सूची के रूप में पूछताछ की दिशा के संबंध में सुझाव दिए गए। सचिवालय द्वारा बाद में साक्ष्य की शब्दशः कार्यवाही का अध्ययन किया गया और साक्ष्य से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को साक्ष्योपरांत प्रश्नावलियां भेजीं।

1.16 सचिवालय ने पृष्ठभूमि टिप्पणों, अग्रिम सूचना, संसदीय और समिति की शब्दशः कार्यवाहियों से प्राप्त सामग्री और साक्ष्योपरांत भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों तथा क्षेत्र दौरे से प्राप्त जानकारीयों सहित जांचाधीन विषयों से संबंधित संपूर्ण सामग्री का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार एकत्रित सामग्री लगभग 55,000 पृष्ठ की थी। तत्पश्चात्, एकत्रित सामग्री के आधार पर संबंधित प्रश्न/मुद्दे तैयार किए गए और प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करके सभापति अथवा उप-समितियों के संयोजकों को स्वीकृति हेतु भेजे गए।

1.17 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उसमें अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी टिप्पण/उत्तर अपेक्षित संख्या में भेजने के अनुरोध के साथ उसकी प्रतियों को संबंधित मंत्रालय/विभागों को भेजा गया। की-गई-कार्यवाही टिप्पण/उत्तर प्राप्त होने पर सचिवालय ने उन पर कार्यवाही की और विहित पद्धति के अनुसार उत्तरों को वर्गीकृत करके की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार किए। तत्पश्चात्, प्रारूप की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु सभापति को प्रस्तुत किए गए। सभापति की स्वीकृति और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के पश्चात् इन प्रतिवेदनों को समिति द्वारा इसके लिए आयोजित बैठक में इस पर विचार करने और इसे स्वीकार करने के लिए सदस्यों को भेजा गया। इस तरह स्वीकृत की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया और उनमें अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की-गई-कार्रवाई टिप्पण/उत्तर प्रस्तुत करने हेतु संबंधित मंत्रालय/विभागों को भेजा गया।

1.18 सचिवालय ने अनुवर्ती कार्रवाई की और समिति को भेजे गये संघ सरकार से संबंधित विभिन्न सीएजी प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा पैराओं पर मंत्रालय/विभागों से प्राप्त उपचारात्मक/सुधारात्मक की-गई-कार्रवाई टिप्पणों पर कार्यवाही भी प्रारंभ की।

1.19 इसके अतिरिक्त, प्रश्न शाखा से प्राप्त संसदीय प्रश्नों और सूचना प्रकोष्ठ/समिति समन्वय शाखा से प्राप्त आरटीआई आवेदनों की जांच/संवीक्षा की गई। लोक लेखा समिति के सभापति को संबोधित/पृष्ठांकित अनेक अभ्यावेदनों पर भी सचिवालय द्वारा पूरी कार्यवाही की गई तथा तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे।

1.20 इस प्रकार, सचिवालय ने समिति से संबंधित अन्य नियमित कार्यों का निष्पादन करने के साथ-साथ समस्त संगत सामग्री का अध्ययन किया, प्रश्नावली/प्रश्न-सूची तैयार की, प्रतिवेदनों का प्रारूप तैयार किया और उनके प्रस्तुतीकरण, मुद्रण और परिचालन आदि का कार्य भी किया।

## अध्याय दो प्राक्कलन समिति

### एक. समिति का चुनाव एवं संरचना

2.1 वर्ष 2017-2018 के लिए प्राक्कलन समिति (सोलहवीं लोक सभा) का गठन 01 मई, 2017 को किया गया था। समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त हुआ।

2.2 समिति, जिसमें लोक सभा के 30 सदस्य होते हैं, का निर्वाचन 01 मई, 2017 को किया गया था। लोक सभा अध्यक्ष ने 01 मई, 2017 से समिति के सदस्य डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी को समिति का सभापति नियुक्त किया था। समिति की संरचना परिशिष्ट-एक में दी गई है।

### दो. जांच हेतु चुने गए विषय

2.3 प्राक्कलन समिति ने 2017-18 के दौरान जांच हेतु निम्नलिखित विषयों का चयन किया है:

1. परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम का आयात (परमाणु ऊर्जा विभाग)
2. उर्वरकों को राजसहायता [रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग)]
3. खनन संबंधी कार्यकलाप और पर्यावरण (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/खान मंत्रालय)
4. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना के विशेष संदर्भ में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण [गृह मंत्रालय (गृह विभाग)]
5. पक्षी अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन एवं संरक्षण (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
6. पीएनजी नेटवर्क (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)
7. 'सशस्त्र बलों की तैयारी-रक्षा उत्पादन और खरीद' [रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग)]
8. शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
9. अल्पसंख्यक मामले (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)
10. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल [गृह मंत्रालय (गृह विभाग)]
11. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय)
12. जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) का कार्यानिष्पादन (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
13. प्रवर्तन निदेशालय और काले धन की बरामदगी [वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)]



14. सार्वजनिक वितरण प्रणाली [उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)]
15. स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 [गृह मंत्रालय (राज्य विभाग)]
16. वर्षा जल संचयन (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय)
17. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (विद्युत मंत्रालय)
18. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
19. बजटीय सुधार [वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)]
20. अभिलेखागार — संग्रहालय (संस्कृति मंत्रालय)
21. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और वनस्पति उद्यान (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
22. पारिस्थितिकी पर मेगा परियोजनाओं का प्रभाव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
23. राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राक्कलन एवं कार्यकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)
24. बड़े और मध्यम पत्तनों की समीक्षा (पोत परिवहन मंत्रालय)
25. पर्यटन मंत्रालय के प्राक्कलन एवं समीक्षा (पर्यटन मंत्रालय)
26. ग्रामीण आवास कोष [वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)]
27. ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) [वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)]
28. विभिन्न प्रकार के उपकरणों का संग्रहण एवं उपयोग [वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)]
29. खाद्य तेलों हेतु मानक निर्धारित करना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
30. भारतीय डाकघरों का उन्नयन [संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग)]
31. आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां-मूल्यांकन एवं अनुक्रिया तंत्र [गृह मंत्रालय (आंतरिक सुरक्षा विभाग)]
32. उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्राक्कलन एवं नीतिगत पहलू (उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय)
33. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्राक्कलन एवं नीतिगत पहलू (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)
34. अंतरिक्ष विभाग के प्राक्कलन एवं नीतिगत पहलू (अंतरिक्ष विभाग)
35. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्राक्कलन एवं नीतिगत पहलू (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय)
36. दिव्यांग व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु सार्वजनिक स्थलों पर सुविधाएं (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

37. अखिल भारतीय सिविल सेवा के प्राक्कलन तथा कार्यनिष्पादन की समीक्षा [कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)]
38. भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल पद्धति की आवश्यकता [कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग एवं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)]
39. वृद्धि, रोजगार और आय का मापन [वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)]
40. आयात निर्यात तथा भुगतान संतुलन की समीक्षा (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)
41. देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्यचर्या (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
42. देश में सूखे की स्थिति (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय)
43. सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास की योजना (आवास और शहरी विकास मंत्रालय)
44. देश में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार (आवास और शहरी विकास मंत्रालय)
45. तीर्थयात्रा के लिए राजसहायता नीति की समीक्षा (विदेश मंत्रालय)
46. सीजीएचएस के कार्यक्रम की समीक्षा (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
47. जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन (जनजातीय कार्य मंत्रालय)

#### तीन. किए गए कार्य की समीक्षा

##### (क) समिति की बैठकें

2.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति की 24 बैठकें हुई हैं जो 54 घंटे 25 मिनट तक चली हैं। समिति की बैठकों की तारीखों, बैठकों की अवधि, उपस्थित सदस्यों की संख्या तथा चर्चा किए गए विषयों को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

2.5 समिति की बैठकों जिनमें प्रत्येक सदस्य उपस्थित हुए, की संख्या को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-तीन में दिया गया है।

##### (ख) समिति के समक्ष प्रस्तुत सामग्री

2.6 जांचाधीन विषयों के बारे में मंत्रालयों/विभागों द्वारा समिति को भेजी गई सामग्री का विवरण निम्नवत् है:—

क्र०सं०	विषय का नाम	मंत्रालय	टंकित/मुद्रित/पृष्ठों की संख्या
1	2	3	4
1.	परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम का आयात	परमाणु ऊर्जा विभाग	15
2.	उर्वरकों पर राजसहायता	रसासन और उर्वरक मंत्रालय	18
3.	खनन संबंधी कार्यकलाप और पर्यावरण	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/खान मंत्रालय	16

1	2	3	4
4.	वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना के विशेष संदर्भ में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	गृह मंत्रालय	21
5.	पक्षी अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन और संरक्षण	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	38
6.	पीएनजी नेटवर्क	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	23
7.	सशस्त्र बलों की तैयारी-रक्षा उत्पादन और खरीद	रक्षा मंत्रालय	1974
8.	शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	279
9.	अल्पसंख्यक मामले	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	45
10.	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल	गृह मंत्रालय	238
11.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	19
12.	जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का परिणाम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	2050
13.	प्रवर्तन निदेशालय और काले धन की वसूली	वित्त मंत्रालय	69
14.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	15
15.	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, 1980	गृह मंत्रालय	40
16.	वर्षा जल संचयन	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	24
17.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	विद्युत मंत्रालय	24
18.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	30
19.	बजटीय सुधार	वित्त मंत्रालय	25
20.	अभिलेखागार-संग्रहालय	संस्कृति मंत्रालय	19
21.	भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और वनस्पति उद्यान	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	35
22.	पारिस्थितिकी पर मेगा परियोजनाओं का प्रभाव	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	24
23.	राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राक्कलन एवं कार्यकरण	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	15

1	2	3	4
24.	बड़े और मध्यम पत्तनों की समीक्षा	पोत परिवहन मंत्रालय	30
25.	पर्यटन मंत्रालय के प्राक्कलन और समीक्षा	पर्यटन मंत्रालय	47
26.	ग्रामीण आवास कोष	वित्त मंत्रालय	16
27.	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	वित्त मंत्रालय	14
28.	विभिन्न प्रकार के उपकरणों का संग्रहण और उपयोग	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	50
29.	खाद्य तेलों हेतु मानक तैयार करना	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	22
30.	भारतीय डाक कार्यालयों का उन्नयन	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	24
31.	आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां-मूल्यांकन और अनुक्रिया तंत्र	गृह मंत्रालय	150
32.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्राक्कलन और नीतिगत पहलू	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	18
33.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्राक्कलन और नीतिगत पहलू	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	19
34.	अंतरिक्ष विभाग के प्राक्कलन और नीतिगत पहलू	अंतरिक्ष विभाग	25
35.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्राक्कलन और नीतिगत पहलू	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	24
36.	विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाएं	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	-
37.	अखिल भारतीय सिविल सेवाओं के प्राक्कलन और कार्यनिष्पादन समीक्षा	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	112
38.	भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल पद्धति की आवश्यकता	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	18
39.	वृद्धि, रोजगार और आय का मापन	वित्त मंत्रालय	875
40.	आयात, निर्यात और भुगतान संतुलन की समीक्षा	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	18
41.	देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	1247
42.	देश में सूखे की स्थिति	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	28

1	2	3	4
43.	सरकारी कॉलोनियों की पुनर्विकास योजना	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	21
44.	देश में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	17
45.	तीर्थयात्रियों के लिए राजसहायता संबंधी नीति की समीक्षा	विदेश मंत्रालय	19
46.	सीजीएचएस के कार्यकरण की समीक्षा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	17
47.	जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन	जनजातीय कार्य मंत्रालय	15

(एक विषय के संबंध में पृष्ठ भूमि सामग्री प्राप्त नहीं हुई।)

(ग) तत्स्थानिक अध्ययन दौर

2.7 समीक्षाधीन अवधि के दौरान 6 जून से 9 जून, 2017 तक हैदराबाद, मुम्बई और जोधपुर का एक अध्ययन दौर किया गया।

(घ) कार्यवाही

2.8 प्राक्कलन समिति की बैठकों, जिनमें साक्षियों का साक्ष्य लिया गया, का सचिवालय में शब्दशः रिकार्ड रखा गया। प्रतिवेदनों से संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश तैयार करके प्रतिवेदनों के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किये गये। 2017-18 के दौरान जांच हेतु विषय का चयन करने के लिए आयोजित बैठक के अलावा वर्ष 2017-18 के दौरान प्राक्कलन समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु पन्द्रह बैठकें कीं, विशेषज्ञों/गैर-सरकारी साक्षियों के विचार जानने के लिए तीन बैठकें और समिति के प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु चार बैठकें कीं तथा समिति के भावी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की।

चार. प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

(ड) मूल प्रतिवेदन

2.9 वर्ष 2017-18 के दौरान प्राक्कलन समिति ने निम्नलिखित मूल प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए:—

क्रम सं०	प्रतिवेदन सं०	विषय	प्रस्तुत किए जाने की तिथि
1	2	3	4
1.	23	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित 'देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या'	21.12.2017

1	2	3	4
2.	26	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से संबंधित 'अखिल भारतीय सेवाओं के प्राक्कलन और कार्यानिष्पादन की समीक्षा'	21.12.2017
3.	28	गृह मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां - मूल्यांकन और अनुक्रिया तंत्र'	19.03.2018

**(च) की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन**

2.10 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभा में निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए:—

क्रम सं०	प्रतिवेदन सं०	विषय	प्रस्तुत किए जाने की तिथि
1.	24	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित 'गंगा संरक्षण' विषय पर प्राक्कलन समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।	21.12.2017
2.	25	पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'पंचायती राज' विषय पर प्राक्कलन समिति के अठारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	21.12.2017
3.	27	रक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग) से संबंधित 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' विषय पर प्राक्कलन समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	19.03.2018

**पांच. सचिवालय**

2.11 प्राक्कलन समिति शाखा समिति का सचिवालय है। एक निदेशक, एक अपर निदेशक, दो अवर सचिव और एक समिति अधिकारी शाखा के प्रभारी रहे और एक संयुक्त सचिव एवं एक अपर सचिव इसके संपूर्ण प्रभारी रहे।

2.12 2017-18 के दौरान, मंत्रालयों/विभागों/विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन किया गया, बिन्दु चुने गए और समिति के उपयोग के लिए प्रश्न तैयार किए गए।

2.13 सचिवालय द्वारा प्रतिवेदनों का प्रारूप तैयार करने, उन पर विचारण और स्वीकार करने, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, उनके मुद्रण, वितरण और परिचालन से संबंधित कार्य के साथ-साथ प्रतिवेदनों से संबंधित कार्यवाही सारांश तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। सचिवालय ने पूर्व प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की-गई-कार्रवाई उत्तरों की जांच और इन पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य भी किया। सचिवालय ने प्राक्कलन

समिति के विचारण हेतु ज्ञापन तैयार करने और पूर्व में किए गए अध्ययन दौरों के दौरान मेजबान संगठनों से प्राप्त दौरे के बिलों के निपटान से संबंधित कार्य भी किया।

2.14 सचिवालय ने जांचाधीन विषयों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदनों, संसदीय वाद-विवाद, संसदीय प्रश्नों के उत्तर, बजट प्राक्कलनों, दस्तावेजों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचारपत्रों आदि का अध्ययन भी किया।

**अध्याय तीन**  
**सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति**

**1. निर्वाचन और संरचना**

3.1 वर्ष 2017-18 हेतु सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जो 01 मई, 2017 से शुरू हुई और 30 अप्रैल 2018 को समाप्त हुई, को लोक सभा समाचार भाग-II सं० 5298 दिनांक 1 मई 2017 को गठित किया गया था।

3.2 अध्यक्ष महोदया ने, समिति के सदस्य श्री शान्ता कुमार को समिति के सभापति के रूप में नियुक्त किया।

3.3 समिति की संरचना परिशिष्ट-एक पर दी गई है।

**दो. जांच हेतु चयनित विषय**

3.4 15 मई, 2017 को हुई अपनी बैठक में, समिति ने वर्ष 2017-18 के दौरान जांच हेतु निम्नलिखित उपक्रमों/विषयों को चुना:—

**क. व्यापक जांच हेतु विषय**

1. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि०
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
4. एयर इंडिया लिमिटेड
5. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईएफसीआई)
6. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (ईसीजीसी)
7. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनएसआईसी लिमिटेड)
8. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9. नेशनल माइनोंरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन
10. नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड
11. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु वर्ष 2016 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 29 के अध्याय पांच सहित, केंद्र सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी)



**ख. समस्तरीय अध्ययन हेतु विषय**

12. सीपीएसयू में कॉर्पोरेट शासन
13. घाटे में चलने वाले सीपीएसयू की समीक्षा
14. भारत में पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पीएसयू द्वारा शुरू की गई हरित पहलें/सीपीएसयू की भूमिका
15. पोत निर्माण क्षेत्र (नामत: गोवा शिपयार्ड लि<sup>०</sup>, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि<sup>०</sup> और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स तथा इंजीनियर्स लि<sup>०</sup>) में रक्षा के पीएसयू
16. जेनेटिक दवाओं के विशेष संदर्भ में सीपीएसयू फार्मास्यूटिकल की भूमिका और कार्यनिष्पादन
17. वर्ष 2010 से 2015 तक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्रवाई/अनुपालन

**ग. नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट लेखा परीक्षा पैराओं पर आधारित विषय**

18. जल विद्युत सीपीएसई (एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और एमएचडीसी लिमिटेड) द्वारा आपदा प्रबंधन सहित क्षमता उपयोग, विद्युत सृजन बिक्री और राजस्व का संग्रहण (वर्ष 2015 की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं० 41 पर आधारित)
19. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का वित्तीयन (वर्ष 2015 की कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं० 12 पर आधारित)
20. एमटीपीसी लि<sup>०</sup> के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों का ईंधन प्रबंधन (वर्ष 2016 की कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं० 35 पर आधारित)
21. ओएनजीसी में कच्चा तेल उत्पादन माप और रिपोर्टिंग प्रणाली (वर्ष 2016 की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट सं० 21 पर आधारित); (केन्द्र सरकार वाणिज्यिक)

**तीन. किए गए कार्य की समीक्षा****(क) समिति की बैठकें**

3.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति ने 28 घंटों 49 मिनटों तक चली 20 बैठकें आयोजित कीं।

3.6 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित समिति की बैठकों की दिनांक और अवधि को दर्शाने वाले विवरणों का ब्यौरा, उपस्थित सदस्यों की संख्या और चर्चा किए गए विषय परिशिष्ट - दो में दिया गया है। समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या का दर्शाने वाला अन्य ब्यौरा परिशिष्ट - तीन में दिया गया है।

**(ख) मंत्रालयों/उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत सामग्री**

3.7 मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत सामग्री और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) तथा जांच हेतु चयनित विषयों से संबद्ध भरत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ज्ञापन अनुमनत: 10000 पृष्ठों तक पहुंच गया।

## (ग) तस्थानिक अध्ययन दौरा

3.8 समिति ने विभिन्न सरकारी उपक्रमों को जांचने के लिए कोई अध्ययन दौरा किया।

## (घ) कार्यवाही

3.9 जब भी साक्ष्य/संक्षिप्त जानकारी ली गई, समिति की कार्यवाहियों का एक शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया था। उक्त अवधि के दौरान, 14 मौखिक साक्ष्यों/संक्षिप्त जानकारीयों का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया था।

चार. रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया गया और उनका प्रस्तुतीकरण

## (क) मूल प्रतिवेदन

3.10 समिति ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित मूल प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया और प्रस्तुत किया:—

क्र० सं०	रिपोर्ट सं०	विषय	प्रस्तुति की दिनांक
1.	19	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)	02.08.2017
2.	22	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तीयन (वर्ष 2015 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं० 12 पर आधारित)	08.02.2018

## (ख) की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

3.11 समिति ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपनी मूल प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर निम्नलिखित मूल प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया और प्रस्तुत किया:—

क्र० सं०	प्रतिवेदन सं०	विषय	प्रस्तुति की दिनांक
1.	20	सरकार द्वारा पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं और पॉवर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रिड प्रबंधन के नियोजन और कार्यान्वयन पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) की ग्यारहवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई (वर्ष 2014 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं० 18 पर आधारित)	19.12.2017
2.	21	सरकार द्वारा भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) पर सरकार उपक्रमों संबंधी समिति (2017-18) की पंद्रहवीं प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई	19.12.2017

3.12 निम्नलिखित तालिका पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समिति द्वारा की-गई-सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई के विश्लेषण को इंगित करता है, जिसके संबंध में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के दौरान प्रस्तुत की गई थीं:—

सिफारिशों की कुल संख्या	कुल सिफारिशों जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	कुल सिफारिशों जिन पर सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	कुल सिफारिशों जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया है	कुल सिफारिशों जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं
24	15	01	04	04

#### पांच. सचिवालय

3.13 सरकारी उपक्रम शाखा, समिति का सचिवालय होता है। संबद्ध अवधि के दौरान निदेशक समिति सचिवालय का प्रभारी होता है और संयुक्त सचिव/अपर सचिव संपूर्ण प्रभारी के रूप में होते हैं। एक उपसचिव सचिवालय शाखा का पर्यवेक्षण करता है।

3.14 विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों/उपक्रमों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन किया गया था। संबद्ध मंत्रालयों और उपक्रमों की जांच से जुड़ी समिति के विचारार्थ विभिन्न विषयों पर सूचना प्राप्त करने हेतु ज्ञापन और प्रश्नावली/प्रश्न सूची तैयार की गई थी। सचिवालय ने प्रकाशित सामग्री जैसे सरकारी उपक्रम सर्वेक्षण संसदीय वाद-विवाद, विभिन्न वार्षिक और अन्य रिपोर्टें, पुस्तकें, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं, इंटरनेट पर सामग्री इत्यादि का भी अध्ययन किया या जांच हेतु लिए गए विषयों से संबंधित थे। केंद्रीय सरकारी उपक्रमों से संबंधित संसदीय प्रश्नों की भी जांच की गई। सूचना प्रकोष्ठ/समिति समन्वय शाखा से प्राप्त आरटीआई से जुड़े मामलों को भी देखा गया। सचिवालय ने भी प्रतिपूर्ति हेतु मेजबान संगठनों द्वारा प्रस्तुत समिति के अध्ययन दौरों से जुड़े व्यय बिलों के प्रसंस्करण को भी निपटारा किया।

परिशिष्ट एक  
(देखिए, पैरा 1.2)  
लोक लेखा समिति की संरचना  
(2017-18)

श्री मल्लिकार्जुन खरगे — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
5. श्री निशिकान्त दुबे
6. श्री गजानन कीर्तिकर
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्रीमती रीती पाठक
9. श्री नेफिउ रिओ<sup>1</sup>
10. श्री अभिषेक सिंह
11. प्रो० राम शंकर
12. डॉ० किरिट सोमैया
13. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
14. श्री शिवकुमार उदासि
15. डॉ० पी० वेणुगोपाल

राज्य सभा

16. श्री नरेश अग्रवाल
17. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
18. श्री भुवनेश्वर कालिता
19. श्री मो० अली खान<sup>2</sup>
20. श्री सुखेन्दु शेखर राय<sup>3</sup>
21. श्री अजय संचेती
22. श्री भूपेन्द्र यादव

---

1 दिनांक 22 फरवरी, 2018 के लोक सभा से उनके इस्तीफे की स्वीकृति के बाद वे समिति के सदस्य नहीं रहे।

2 श्री शान्ताराम नाइक की सेवानिवृत्ति के कारण हुए रिक्त पद पर 29 दिसम्बर 2017 से चुने गये।

3 राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण दिनांक 18 अगस्त, 2017 से समिति के सदस्य नहीं रहे और दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 से पुनः चुने गये।

**परिशिष्ट दो**  
( देखिए, पैरा 1.4 )

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2017-2018 के दौरान जांच हेतु चयनित विषय

**श्रेणी-1**

( पूर्ववर्ती समिति द्वारा आगे स्थानानंतरित )

क्र० सं०	विषय	मंत्रालय/विभाग	मुख्य समिति या उपसमिति के विचाराधीन	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन संख्या 17 के अध्याय के आधार पर दि०वि०प्रा० द्वारा “भूमि अधिग्रहण और विकास”	शहरी विकास	मुख्य समिति	
2.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन संख्या 17 के पैरा 2.1 के आधार पर “डिफेंस ऑफसेट का प्रबंधन”	रक्षा	मुख्य समिति	
3.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 6 के आधार पर “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनेरगा)”	ग्रामीण विकास	उप-समिति	
4.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के की वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 10 के आधार पर “अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी०वी०आई०पी०) के लिए हेलीकाप्टरों का अधिग्रहण”	रक्षा	मुख्य समिति	
5.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 24 के आधार पर “आयुध उपस्कर समूह की फैक्टरियों के कार्य निष्पादन की अनुपालन लेखा परीक्षा”	रक्षा	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
6.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 27 के आधार पर “राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी आई) पर निष्पादन की लेखा परीक्षा”	विद्युत	मुख्य समिति	
7.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 28 के आधार पर “शास्ति और अभियोजन के प्रशासन पर निष्पादन लेखा परीक्षा”	वित्त	उप समिति	
8.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 30 के पैरा 2.1 के आधार पर “रक्षा भूमि का अनुपयुक्त प्रबंधन”	रक्षा	उप समिति	
9.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 30 के पैरा 2.5 के आधार पर “प्रभावी नियंत्रण के अभाव बकाया देय की वसूली न होना”	रक्षा	उप समिति	
10.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 30 के पैरा 3.5 के आधार पर “भवनों में अप्राधिकृत सुदृढ़ता उपायों संबंधी प्रावधानों के कारण अतिरिक्त व्यय”	रक्षा	उप समिति	
11.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 30 के पैरा 6.3 के आधार पर “विनिमय पर अंतर की मंजूरी से आपूर्तिकर्ता विदेशी को अनुचित लाभ पहुंचाना”	रक्षा	उप समिति	
12.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 30 के पैरा 6.4 के आधार पर “टेंडर	रक्षा	उप-समिति	

1	2	3	4	5
	एंक्वायरी एंड कॉन्ट्रैक्ट (निविदा पूछताछ एवं संविदा) शर्तों में छूट देकर एक विदेशी फर्म का अनुचित लाभ”			
13.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 31 के आधार पर “भारतीय नौसेना पोतों के रिफिट्स संबंधी नियोजन और प्रबंधन नियोजन और प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा”	रक्षा	मुख्य समिति	
14.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 3 के आधार पर “भारतीय रेल में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित परियोजनाएं”	रेल	मुख्य समिति	
15.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 4 के पैरा 3.5 के आधार पर “भारतीय वायुसेना में एअरफील्ड अवसंरचना/रनवे की उपलब्धता”	रक्षा	उप समिति	
16.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 5 के आधार पर “स्ट्रैस्ट एसेस्टस स्टेब्लाइजेशन फंड (एसएएसएफ)”	वित्त	मुख्य समिति	वित्तीय सेवाओं संबंधी विभाग
17.	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 1.35 के आधार पर “बकाया कर राशि”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग
18.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय VI आधार के पर “नशीले पदार्थों का प्रबंधन”	वित्त	उप समिति	राजस्व विभाग

1	2	3	4	5
19.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 14 के आधार पर “केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र”	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	मुख्य समिति	
20.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 19 के अध्याय 3 के आधार पर “भारतीय रेल में परियोजनाओं का लेखांकन”	रेल	उप-समिति	
21.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 21 के आधार पर “विशिष्ट अर्थिक क्षेत्रों(एसईजेड)का कार्य-निष्पादन”	वित्त	मुख्य समिति	सीबीईसी
22.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 26 के पैरा 2.1 के आधार पर “भारतीय रेल में तुलासेतुओं का कार्य-निष्पादन”	रेल	मुख्य समिति	
23.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 27 के पैरा 6.4 के आधार “नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना”	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन	मुख्य समिति	
24.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 31 के आधार पर “भारतीय रेल में माल गाड़ियों का प्रबंधन”	रेल	उप-समिति	
25.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 34 के पैरा 2.1 के आधार पर “प्रशिक्षक वायुयान की अधिप्राप्ति”	रक्षा	उप-समिति	



1	2	3	4	5
26.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 34 के पैरा 2.3 के आधार पर “हवाई लड़ाकू चालन यंत्र-विन्यास प्रणाली की अधिप्राप्ति”	रक्षा	उप समिति	
27.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 34 के पैरा 2.4 के आधार पर “टॉरपीडो के अधिप्राप्ति में निष्फल निवेश”	रक्षा	उप समिति	
28.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 35 के पैरा 2.1 के आधार पर “ट्रक वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्याधिक विलंब”	रक्षा	उप समिति	
29.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 35 के पैरा 8.2 पर आधारित “आयुध कारखानों में वस्तु सूची प्रबंधन”	रक्षा	मुख्य समिति	
30.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 3 विभाग के अध्याय तीन पर आधारित प्रत्यक्ष कर “निगम कर”	वित्त	उप-समिति	राजस्व विभाग सेवा कर
31.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 4 के अध्याय तीन पर आधारित “बीमा क्षेत्र में सेवा कर देयता”	वित्त	उप-समिति	राजस्व विभाग सेवा कर
32.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 4 के अध्याय तीन पर आधारित “पत्तन क्षेत्र में सेवा कर देयता”	वित्त	उप-समिति	राजस्व विभाग सेवा कर
33.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 5 पर आधारित “दवाइयों के क्षेत्र में निर्धारित के मूल्यांकन पर निष्पादन लेखा परीक्षा”	वित्त	उप-समिति	राजस्व विभाग सेवा कर

1	2	3	4	5
34.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 6 पर आधारित "प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तथा अवसंरचना विकास पर निष्पादन लेखा परीक्षा"	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	मुख्य समिति	
35.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 8 के अध्याय-पांच पर आधारित "सामान्य छूट अधिसूचना का गलत आवेदन"	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग सीमा शुल्क
36.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 11 पर आधारित "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा"	कृषि	मुख्य समिति	
37.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 17 के पर आधारित "हल्के लड़ाकू विमान के डिजाइन, विकास, विनिर्माण एवं अधिष्ठापन की निष्पादन लेखा परीक्षा"	रक्षा	मुख्य समिति	वायु सेना
38.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 19 पर आधारित "सेना में गोला बारूद प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा"	रक्षा	मुख्य समिति	
39.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 20 के पैरा 2.8 पर आधारित "ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) के स्पेक्ट्रम की नीलामी में उचित परिश्रम की कमी"	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	दूरसंचार विभाग
40.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 11 के पैरा 4.1 पर आधारित "संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया गया निष्फल व्यय"	संस्कृति	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
41.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 18 के पैरा 8.1 पर आधारित “सही तरीके की योजना नहीं बनाने के कारण योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना”	गृह	मुख्य समिति	
42.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 24 (खंड-दो ) के अध्याय एक पर आधारित “भारतीय रेल में पुलों का रख-रखाव”	रेल	मुख्य समिति	
43.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 24 (खंड-दो) के अध्याय 4 पर आधारित “भारतीय रेल में खाली जमीन का प्रबंधन”	रेल	मुख्य समिति	
44.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 26 पैरा 2.2 पर आधारित “निर्धारिती का पंजीयन न होना”	वित्त	उप-समिति	
45.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 26 के पैरा 3.1 पर आधारित “नहीं चुकाया गया सेवा कर”	वित्त	उप-समिति	
46.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 26 पर आधारित “केन्द्र सरकार के राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर, के संविदा कार्यों पर कर लगाने तथा संग्रह करने पर निष्पादन लेखा परीक्षा”	वित्त	मुख्य समिति	
47.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 27 पर आधारित “मुख्य पत्तनों पर भूमि प्रबंधन”	पोत परिवहन	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
48.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 28 पर आधारित “कुल स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान की निष्पादन लेखा परीक्षा”	पेय जल एवं स्वच्छता	उप-समिति	
49.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 29 अध्याय-एक पर आधारित “भारतीय रेल में यात्री डिब्बों में आग लगने की घटनाएं”	रेलवे	मुख्य समिति	
50.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 30 के पैरा 3.1 पर आधारित “औषधियों एवं दवाइयों संबंधी अनुसंधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन”	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	
51.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 33 पर आधारित “जनजातीय उप-योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा”	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं आयुष
52.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 34 पर आधारित “भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की निष्पादन लेखा परीक्षा”	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	मुख्य समिति	
53.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 35 पर आधारित “केन्द्रीय सशस्त्र बलों में निर्माण संबंधी कार्यों की निष्पादन लेखा परीक्षा”	गृह	मुख्य समिति	
54.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 37 के पैरा 2.1 पर आधारित “आई०एन०एस० सिंधुकृति का मीडियम मरम्मत-सह-उन्नयन कार्य”	रक्षा	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
55.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 44 के पैरा 2.1 पर आधारित “कैटोनमेंट बोर्ड्स (सी०बी०) का कामकाज”	रक्षा	मुख्य समिति	
56.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 44 के पैरा 2.2 पर आधारित “विशेष पैराशूटों का उपलब्ध न होना”	रक्षा	मुख्य समिति	
57.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 44 के पैरा 3.1 पर आधारित “सेना विमानन कोर की कार्य पद्धति”	रक्षा	मुख्य समिति	
58.	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 44 के पैरा 7.2 पर आधारित “हथियार विनिर्माण कारखानों के निर्माण पर निष्पादन लेखा परीक्षा”	रक्षा	मुख्य समिति	
59.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 45 पर आधारित “राष्ट्रीय कौशल विकास निधि और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम संबंधी अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय”	वित्त	मुख्य समिति	कौशल विकास और उद्यमिता
60.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 46 पर आधारित “केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सेवा कर में स्वचालन की कार्य प्रणाली”	वित्त	उप-समिति	
61.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 48 के अध्याय-एक पर आधारित “भारतीय रेल में परियोजनाओं की स्थिति”	रेलवे	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
62.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 49 पर आधारित “प्रमुख पत्तनों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की निष्पादन लेखा परीक्षा”	पोत परिवहन	मुख्य समिति	
63.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 51 पर आधारित “भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना-रक्षा थलसेना के कार्यान्वयन से संबंधित निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन”	रक्षा	मुख्य समिति	
64.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 52 पर आधारित “प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि-योजना (टीयूएफएस) संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन”	वस्त्र	मुख्य समिति	
65.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 53 के अध्याय-तीन पर आधारित “रेलवे वित्त”	रेलवे	मुख्य समिति	
66.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 54 पर आधारित “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की तैयारी”	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	उप-समिति	
67.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 55 के पैरा 2.1 पर आधारित “संचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र संबंधी अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन”	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	
68.	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 4 पर आधारित “वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी”	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
69.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 6 पर आधारित "प्राकृतिक या संवर्धित मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु चढ़ी हुई चादर और उसकी वस्तुएं, नकली गहने, सिक्कों (सीटीएच का अध्याय 71) संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा"	वित्त	उप समिति	राजस्व विभाग
70.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 7 पर आधारित "पासपोर्ट सेवा परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा"	विदेश	मुख्य समिति	
71.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन 8 पर आधारित "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 (सामाजिक लेखा परीक्षा नियम)"	ग्रामीण विकास	उप-समिति	
72.	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 10 के पैरा 2.2 पर आधारित "उसी रूप में हटाये गए इनपुट सेवाओं पर अदा किए गए सेवा कर के क्रेडिट के प्रतिलोम के प्रावधान का अभाव"	वित्त	मुख्य समिति	
73.	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 10 के पैरा 23 पर आधारित "इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट अनुमत्य करते हुए प्रावधानों में कमियां"	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग
74.	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 10 के पैरा 2 पर आधारित "अप्रचलित माल पर क्रेडिट लौटाने के लिए प्रावधान का अभाव"	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग

1	2	3	4	5
75.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 10 के अध्याय-चार पर आधारित “अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग की दक्षता”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग
76.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 21 पर आधारित “निधियों का अवरोधन”	कृषि और कृषक कल्याण	मुख्य समिति	
77.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा 2 पर आधारित “घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना”	कृषि और कृषक कल्याण	मुख्य समिति	
78.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 31 पर आधारित “निष्फल व्यय”	नागरिक उड्डयन	मुख्य समिति	
79.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 41 पर आधारित “ऊर्जा प्रभारों का परिहार्य व्यय”	कोयला	मुख्य समिति	
80.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 42 पर आधारित “हैदराबाद में आठ वर्षों से अधिक अवधि तक खाली पड़े कार्यालय स्थल तथा आवासीय परिसर का उपयोग करने में विफलता”	कोयला	मुख्य समिति	
81.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 51 पर आधारित “सेवा कर का गैर-संग्रहण के कारण परिहार्य व्यय”	वाणिज्य और उद्योग	मुख्य समिति	
82.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 61 पर आधारित “विलंब तथा	संस्कृति	मुख्य समिति	



1	2	3	4	5
	मंत्रालय के अनिर्णय परिणाम- स्वरूप राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान की इमारत के निर्माण लागत में पांच गुणा से अधिक की वृद्धि''			
83.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 62 पर आधारित ''कूथम्बलम के नवीकरण पर निष्फल व्यय''	संस्कृति	मुख्य समिति	
84.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 63 पर आधारित ''निष्क्रिय निवेश और किराए का परिहार्य भुगतान''	संस्कृति	मुख्य समिति	
85.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 71 पर आधारित ''नागरिकता के परित्याग तथा पासपोर्ट के दुरुपयोग के प्रति प्रभारित शुल्कों/दंडों पर विनियम दर के गलत अभिग्रहण के कारण राजस्व का कम संग्रहण किया गया''	विदेश मंत्रालय	मुख्य समिति	
86.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 72 पर आधारित ''सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ''	विदेश मंत्रालय	मुख्य समिति	
87.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 73 पर आधारित ''एक संदिग्ध फर्म को कार्य देना''	विदेश मंत्रालय	मुख्य समिति	
88.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 74 पर आधारित ''पासपोर्ट तथा संबंधित सेवाओं हेतु शुल्क के संशोधन न होने के कारण राजस्व की हानि''	विदेश मंत्रालय	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
89.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 75 पर आधारित “सेवा कर का भुगतान न होना”	विदेश मंत्रालय	मुख्य समिति	
90.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 81 पर आधारित “डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल निधियों का अवरोधन तथा उपकरण का अनुपयोग”	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मुख्य समिति	
91.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 82 पर आधारित “सेवा प्रभागों का अधिक भुगतान”	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मुख्य समिति	
92.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 8 पर आधारित “वजीफे का अधिक भुगतान”	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मुख्य समिति	
93.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 84 पर आधारित “सेवा कर के अनियमित भुगतान की वसूली न होना”	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मुख्य समिति	
94.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 85 पर आधारित “यात्रा भत्ते का अतिरिक्त भुगतान”	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	मुख्य समिति	
95.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 91 पर आधारित “खराब आयोजना के कारण निष्फल व्यय”	गृह मंत्रालय	मुख्य समिति	
96.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 92 पर आधारित “निष्फल व्यय”	गृह मंत्रालय	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
97.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 93 पर आधारित “परिसभारता क्षतियों की वसूली न होना”	गृह मंत्रालय	मुख्य समिति	
98.	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.1 पर आधारित “छात्रावास ब्लॉक की क्षति के कारण 597 करोड़ रु० की हानि”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	उप समिति	उच्चतर शिक्षा विभाग
99.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.2 पर आधारित “ब्याज की हानि”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मुख्य समिति	उच्चतर शिक्षा विभाग
100.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.3 पर आधारित “निष्फल व्यय”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मुख्य समिति	उच्चतर शिक्षा विभाग
101.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.4 पर आधारित “अनियमित प्रतिपूर्ति”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मुख्य समिति	उच्चतर शिक्षा विभाग
102.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.5 पर आधारित “निधियों का अवरोधन”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मुख्य समिति	शिक्षा और साक्षरता
103.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.6 पर आधारित “निष्फल व्यय”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मुख्य समिति	शिक्षा और साक्षरता
104.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.7 पर आधारित “डिजाइन केन्ड के प्रथम एवम् द्वितीय तल के निर्माण में परिहार्य व्यय”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मुख्य समिति	शिक्षा और साक्षरता

1	2	3	4	5
105.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.8 पर आधारित “श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली न होना”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मुख्य समिति	उच्चतर शिक्षा विभाग
106.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.09 पर आधारित “वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए ग्रंथना विभाग, विश्व भारती, कोलकाता की प्रकाशन गतिविधियां”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मुख्य समिति	उच्चतर शिक्षा विभाग
107.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 10.10 पर आधारित “आउटसोर्सिंग अभिकरण को 32.87 लाख रुपये का अधिक भुगतान तथा लेखापरीक्षा दृष्टांत पर आंशिक वसूली”	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मुख्य समिति	उच्चतर शिक्षा विभाग
108.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 11.1 पर आधारित “केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का कार्यकरण”	सूचना और प्रसारण	मुख्य समिति	
109.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 11.2 पर आधारित “वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 की अवधि हेतु सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की शैक्षणिक गतिविधियां”	सूचना और प्रसारण	मुख्य समिति	
110.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 12.1 पर आधारित “खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई में ऋणों का अपर्याप्त अनुवर्तन”	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
111.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 12.2 पर आधारित “के०वी०आई०सी० द्वारा पारंपरिक उद्योगों के पुनर्गठन हेतु निधि की योजना का कार्यान्वयन”	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग	मुख्य समिति	
112.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 13.1 पर आधारित “वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर परिहार्य व्यय”	नीति आयोग	मुख्य समिति	
113.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 13.2 पर आधारित “विज्ञापनों के अनियमित प्रकाशन के कारण विज्ञापन अभियान की हानि”	नीति आयोग	मुख्य समिति	
114.	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 14.1 पर आधारित “वर्ष 2012-13 से वर्ष 2013-14 के लिए केजी-डीडब्ल्यू-एन 98/3 ब्लॉक के हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभाजन ठेके की अनुवर्ती लेखा-परीक्षा”	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	उप समिति	
115.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 15.1 पर आधारित “जीवन अवधि पूरी हो चुके टग अविवेकी व्यय”	पोत परिवहन	मुख्य समिति	
116.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 16.1 पर आधारित “खारपर, नवी मुंबई में क्षेत्रीय केन्द्र भवन का निर्माण कार्य शुरू करने में अत्यधिक विलंब के कारण निष्फल और परिहार्य व्यय”	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
117.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं 11 के पैरा 17.1 के आधार पर “एक निजी दल को अनुचित लाभ”	वस्त्र	मुख्य अतिथि	
118.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं 11 के पैरा 18.1 के आधार पर “अप्राप्त वैट प्रतिदाय”	पर्यटन	मुख्य अतिथि	
119.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं 11 के पैरा 19.1 के आधार पर “सम्पदा निदेशालय का कार्यकरण”	शहरी विकास	मुख्य अतिथि	
120.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं 11 के पैरा 20.1 के आधार पर “भूमि के अतिक्रमण के कारण 1.40 करोड़ का निष्फल व्यय”	महिला एवं बाल विकास	मुख्य अतिथि	
121.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं 11 के पैरा 21.1 के आधार पर “सीमा शुल्क का परिहार्य भुगतान”	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	मुख्य अतिथि	
122.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं 11 के पैरा 22.1 के आधार पर “निधियों का अवरोधन”	गृह	मुख्य अतिथि	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
123.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं 11 के पैरा 22.2 के आधार पर “अवकाश यात्रा रियायत दावों की कपटपूर्ति प्रतिपूर्ति”	गृह	मुख्य अतिथि	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
124.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं 12 के पैरा 6.1 के आधार पर “विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना न होना और अपव्यय”	पृथ्वी विज्ञान	मुख्य अतिथि	

1	2	3	4	5
125.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 13 के पैरा 2.1 के आधार पर “ भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन ”	रेल	मुख्य अतिथि	
126.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 6 के पैरा 2.1 के आधार पर “ लोक ऋण प्रबंधन ”	रक्षा	मुख्य अतिथि	आर्थिक मामले
127.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 17 के अध्याय-दो के आधार पर स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा	रक्षा	मुख्य अतिथि	
128.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 18 के अध्याय-दो के आधार पर “ वायु सेना मुख्यालय संचार स्वचोडन ( ए०एच०सी०एस० ) की लेखापरीक्षा ”	रक्षा	मुख्य अतिथि	
129.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 18 के पैरा 3.3 के आधार पर “ एक्स ” सिस्टम की नवीकरण	रक्षा	मुख्य अतिथि	
130.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 19 के पैरा 2.1 के आधार पर “ महानिदेशक पुनर्वास के प्रकार्य ”	रक्षा	मुख्य अतिथि	
131.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 19 के पैरा 2.2 के आधार पर “ भारतीय सेना में राशन की आपूर्ति शृंखला प्रबंध-अनुवर्ती लेखापरीक्षा ”	रक्षा	मुख्य अतिथि	
132.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 19 के पैरा 2.3 के आधार पर “ इस्तेमाल के दौरान अनुकूल नहीं पायी गयी पर्यावरणीय नियंत्रण इकाइयों की अधिप्राप्ति ”	रक्षा	मुख्य अतिथि	

1	2	3	4	5
133.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 19 के पैरा 6.1 के आधार पर “मोबाइल नाइट्रोजन गैस उत्पादन संयंत्र की परिहार्य अधिप्राप्ति”	रक्षा	मुख्य अतिथि	डीआरडीओ
134.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 19 के पैरा 6.2 के आधार पर “सामग्री की निष्फल खरीददारी”	रक्षा	मुख्य अतिथि	डीआरडीओ
135.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 20 के आधार पर “कोयला खानों की ई-नीलामी”	कोल	मुख्य अतिथि	
136.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 2.1 के आधार पर “उद्घोषणाओं के सटीकता की जांच हेतु प्रावधान”	वित्त	मुख्य अतिथि	
137.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 2.2 के आधार पर “योजना के लिए पात्रता से संबंधित प्रावधान”	वित्त	मुख्य अतिथि	राजस्व विभाग
138.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 2.2.1 के आधार पर उन उद्घोषकों जिनके प्रति 1 मार्च, 2013 से पूर्व पूछताछ, जांच या लेखा परीक्षा शुरू की गयी थी, को लाभ देना	वित्त	मुख्य अतिथि	राजस्व विभाग
139.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 2.2.2 के आधार पर उन उद्घोषकों जिनके प्रति अक्टूबर, 2007 से पूर्व एससीएन जारी किये गये थे, को लाभ देना	वित्त	मुख्य अतिथि	राजस्व विभाग
140.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 2.2.3 के आधार पर उन उद्घोषकों जिनके विरुद्ध जांच, छानबीन या लेखा परीक्षा 1 मार्च, 2013 के बाद आरंभ की गयी थी, को लाभ देना	वित्त	मुख्य अतिथि	राजस्व विभाग



1	2	3	4	5
141.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 2.3.3 के आधार पर “डाटाबेस का अभाव”	वित्त	मुख्य अतिथि	राजस्व विभाग
142.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 3.4 के आधार पर “धारा 106 के परन्तुक की शर्तों में योग्यता मानदंड की जांच”	वित्त	मुख्य अतिथि	राजस्व विभाग
143.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 3.7 के आधार पर “प्रथम किस्त के भुगतान की निगरानी”	वित्त	मुख्य अतिथि	राजस्व विभाग
144.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 4.2 के आधार पर “सत्य घोषणाओं की फाइलिंग”	वित्त	उप-समिति	राजस्व विभाग
145.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा 4.3 के आधार पर “पश्च वीसीईएस कर प्रशासन”	वित्त	उप-समिति	राजस्व विभाग
146.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 23 के आधार पर “प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना”	ग्रामीण विकास	उप-समिति	
147.	सीएंडएजी की 2016 की रिपोर्ट सं० 24 के पैरा 2.1 के आधार पर “अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटक आवास तथा अन्य अवसंरचनाओं का सृजन”	गृह	उप-समिति	
148.	वर्ष 2016 के सीएंडएजी प्रतिवेदन संख्या 24 के पैरा 2.7 पर आधारित “दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) का कार्याकरण”	गृह मामले	मुख्य समिति	
149.	वर्ष 2016 के सीएंडएजी प्रतिवेदन संख्या 25 पर आधारित पहल (डीबीटीएल) (प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना) स्कीम का कार्यान्वयन	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
150.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 26 पर आधारित “विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत स्वायत्त निकायों का प्रशासनिक कार्यकरण”	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	
151.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 27 पर आधारित “राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन का अनुपालन”	वित्त	मुख्य समिति	आर्थिक कार्य विभाग
152.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 28 के पैरा सं० 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.10 पर आधारित “आधारभूत संरचना विकास राजस्व में संलग्न निर्धारितियों को कटौती की अनुमति”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग
153.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 29 के पैरा 3.2 पर आधारित “डाक विभाग में खाली पड़ी जमीन का प्रबंधन”	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	डाक विभाग
154.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 30 पर आधारित “पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)”	ऊर्जा	मुख्य समिति	
155.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 31 पर आधारित “दिल्ली विकास प्राधिकरण में भूमि प्रबंधन”	शहरी विकास	मुख्य समिति	
156.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 33 पर आधारित “प्रक्षेपण सेवाओं का प्रबंधन”	अंतरिक्ष	मुख्य समिति	
157.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 34 के पैरा सं० 3.4 पर आधारित “अत्यधिक संवितरण के साथ अनुदान/ विनियोग (2015-16)”	वित्त	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
158.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 36 पर आधारित "आर्मी बेस कार्यशालाओं का कार्यक्रम"	रक्षा	मुख्य समिति	
159.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 38 पर आधारित "कैण्टीन स्टोर विभाग का कार्यक्रम"	रक्षा	मुख्य समिति	
160.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 39 पर आधारित "पर्यावरण मंजूरी और मंजूरी पश्चात् निगरानी"	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन	मुख्य समिति	
161.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 40 पर आधारित "एअर इंडिया लिमिटेड की नवीकरण योजना और वित्तीय पुनर्गठन योजना"	नागरिक उड्डयन	मुख्य समिति	
162.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा सं० 1.12 पर आधारित "सेवाकर रिटर्न की जांच"	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर)
163.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा सं० 1.17 पर आधारित "आन्तरिक लेखा परीक्षा"	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर)
164.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा सं० 2.8.2 पर आधारित "विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण"	वित्त	मुख्य समिति	
165.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा सं० 2.8.2 पर आधारित "बकायों की वसूली: वसूली प्रक्रिया का आरम्भ न होना/वसूली में विलम्ब"	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर)
166.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा सं० 2.8.3 पर आधारित "बकायों की वसूली: जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल न करना"	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर)

1	2	3	4	5
167.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा सं० 2.8.5 पर आधारित “बकायों की वसूली: वसूली प्रकोष्ठ में मामलों को स्थानान्तरित नहीं करना”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर)
168.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा सं० 2.11.1 पर आधारित “बकायों की वसूली: जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल न करना”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर)
169.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 41 के पैरा सं० 5.4 पर आधारित “रिटर्न की अपर्याप्त जांच”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर)
170.	वर्ष 2016 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 42 पर आधारित “परियोजना आयतों पर निष्पादन लेखापरीक्षा”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर)
171.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा सं० 4.1.5 पर आधारित “ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का अत्यधिक उपयोग”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (सीमा शुल्क)
172.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 1 के पैरा सं० 7.1 पर आधारित “जाली दस्तावेजों के आधार पर सीमाशुल्क के अतिरिक्त ड्यूटी का रिफंड (एसएडी)”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (सीमा शुल्क)
173.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या में पैरा सं० 7.2 पर आधारित “जाली दस्तावेजों के आधार पर सीमाशुल्क के अतिरिक्त ड्यूटी का रिफंड (एसएडी)”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (सीमा शुल्क)
174.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या में पैरा सं० 7.2 पर आधारित “रिकार्ड को प्रस्तुत न करना”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (सीमा शुल्क)

1	2	3	4	5
175.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 2 के अध्याय-5 पर आधारित “शेल कम्पनियों/हवाला ऑपरेटर्स द्वारा काल्पनिक क्रय विक्रय”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (प्रत्यक्ष कर)
176.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा सं 1.12 पर आधारित “केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिटर्न की जाँच”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
177.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा सं 1.14 पर आधारित “आन्तरिक लेखा परीक्षा”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
178.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा सं 1.18 पर आधारित “विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
179.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा सं 2.8.2 पर आधारित “क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यकरण: वसूली कार्यवाही आरंभ न करना/विलम्ब से करना”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
180.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा सं 2.8.3 पर आधारित “शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन दाखिल न करना”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
181.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा सं 2.8.6 पर आधारित “क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यकरण: वसूली प्रकोष्ठ को मामले हस्तांतरित न करना”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
182.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा सं 2.11.1 पर आधारित “क्षेत्रीय टी.ए.आर. द्वारा रणनीति तैयार न करना”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

1	2	3	4	5
183.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 5 पर आधारित “सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत-चीन सीमा सड़कों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा”	वित्त	मुख्य समिति	रक्षा (थल सेना)
184.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 2.1 पर आधारित “एपीडब्ल्यूजी द्वारा सड़कों और पुलों का निर्माण”	विभिन्न मंत्रालय/विभाग	मुख्य समिति	संघशासित क्षेत्र (संघशासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार प्रशासन)
185.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 2.3 पर आधारित “अंडमान तथा लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्यों का कार्यनिष्पादन”	विभिन्न मंत्रालय विभाग	मुख्य समिति	संघशासित क्षेत्र (संघशासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार प्रशासन)
186.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 2.4 पर आधारित “गुप्तचर किशती की अवैधानिक और जोखिमपूर्ण कार्रवाई”	विभिन्न मंत्रालय/विभाग	मुख्य समिति	संघशासित क्षेत्र (संघशासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार प्रशासन)
187.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 2.6 पर आधारित “तथ्यों के गलत रूप से प्रस्तुत किए जाने के कारण अनावश्यक व्यय”	विभिन्न मंत्रालय/विभाग	मुख्य समिति	संघशासित क्षेत्र (संघशासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार प्रशासन)
188.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 2.8 पर आधारित	विभिन्न मंत्रालय/विभाग	मुख्य समिति	संघशासित क्षेत्र

1	2	3	4	5
	“वाटर स्पोर्ट्स उपकरण को पट्टे पर लेने में लोक वित्तीय हित की सुरक्षा करने में विफलता”			(संघशासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार प्रशासन)
189.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 2.14 पर आधारित “व्यय को मॉनीटर करने में मंत्रालय की विफलता”	विभिन्न मंत्रालय/विभाग	मुख्य समिति	संघशासित क्षेत्र (लक्षद्वीप प्रशासन)
190.	वर्ष 2017 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा 4.1 पर आधारित “मिनिकॉय में टूना कैनिंग फैक्टरी का आधुनिकीकरण”	विभिन्न मंत्रालय/विभाग	मुख्य समिति	लक्षद्वीप विकास निगम लि०
191.	उत्तरपूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में अव्यपगत केन्द्रीय पूल के संसाधन के अन्तर्गत लोक व्यय की संवीक्षा	उत्तरपूर्व क्षेत्र विकास	मुख्य समिति	
192.	“भारतीय अवसंरचना ऋण कोष”	वित्त	मुख्य समिति	
193.	“सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम”	गृह	मुख्य समिति	
194.	“रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण”	रेलवे	मुख्य समिति	
195.	“सार्वजनिक संस्थानों में अशोध्य ऋण”	वित्त	मुख्य समिति	
196.	“मौद्रिक नीति की समीक्षा”	वित्त	मुख्य समिति	
197.	“पीपीपी परियोजनाएं”	पेयजल और स्वच्छता	मुख्य समिति	पोत परिवहन शहरी विकास आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन

1	2	3	4	5
198.	वर्ष 2015 के सीएण्डएजी प्रतिवदेन संख्या 26 पर आधारित “निर्माण कार्य अनुबंध पर लेवी की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सेवा कर का संग्रहण”	वित्त	उप समिति	राजस्व अप्रत्यक्ष कर
199.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 7 पर आधारित “कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा”	कृषि और किसान कल्याण	मुख्य समिति	
200.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 10 पर आधारित “बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ पूर्वानुमान योजनाओं संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा”	जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा संरक्षण	मुख्य समिति	
201.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 2.1 पर आधारित “कपटपूर्ण छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्रतिपूर्ति”	कृषि किसान कल्याण	मुख्य समिति	आईएआरआई
202.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 3.1 पर आधारित “अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त न होना”	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	मुख्य समिति	
203.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 3.2 पर आधारित “राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता में चिकित्सा देखभाल सुविधाएं”	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	मुख्य समिति	
204.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 3.3 पर आधारित “निधियों का अवरोधन”	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	मुख्य समिति	



1	2	3	4	5
205.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 4.1 पर आधारित “भंडारण व्यवस्था पर व्यर्थ निवेश”	संस्कृति	मुख्य समिति	
206.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 5.1 पर आधारित “न्यासीय कर्तव्य की विफलता के कारण बकाया राशियों की संदिग्ध वसूली”	नागरिक उद्भुयन	मुख्य समिति	
207.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 6.1 पर आधारित “कोयला खान भविष्य निधि संगठन में निधियों का प्रबंधन”	कोयला	मुख्य समिति	
208.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 7.1 पर आधारित “एपीईडीए द्वारा अप्रभावी निगरानी (मॉनीटरिंग)”	वाणिज्य और उद्योग	मुख्य समिति	
209.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 8.1 पर आधारित “राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी-भंडारण व्यवस्था पर व्यर्थ निवेश”	संस्कृति	मुख्य समिति	
210.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 8.2 पर आधारित “वित्तीय नियमों का पालन न होने के कारण निधियों का अवरोधन व ब्याज की हानि”	संस्कृति	मुख्य समिति	
211.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 9.1 पर आधारित “राजदूत	विदेश मंत्रालय	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
	के निवास हेतु किराए पर परिहार्य व्यय”			
212.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2017 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा 9.1 पर आधारित “आंतरिक नियंत्रण के अभाव के कारण भारत के महावाणिज्य दूतावास, सेन फ्रांसिस्को में धोखाधड़ी ”	विदेश मंत्रालय	मुख्य समिति	
213.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 9.3 पर आधारित “सरकारी लेखाओं से बाहर प्राप्ति एवं व्यय”	विदेश मंत्रालय	मुख्य समिति	
214.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 9.4 पर आधारित “नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार की स्थापना एवं कामकाज”	विदेश मंत्रालय	मुख्य समिति	
215.	“नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 10.1 पर आधारित “झारखंड में जनजातीय क्षेत्र भत्ता का अनियमित भुगतान”	वित्त	मुख्य समिति	
216.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 11.1 पर आधारित “खराब निधि प्रबंधन के कारण परिहार्य समय एवं लागत का अत्यधिक बढ़ जाना”	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य समिति	
217.	“नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 11.2 पर आधारित “जेडएलएन की खरीद पर अतिरिक्त व्यय”	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
218.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 11.3 पर आधारित “केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना: नियमों के उल्लंघन करते हुए एक वाणिज्यिक उपक्रम को किराया मुक्त आवास”	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य समिति	
219.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 11.4 पर आधारित “जवाहरलाल स्नानकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी में अधिप्राप्ति प्रथाओं एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के पर्याप्तता	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य समिति	
220.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 11.5 पर आधारित “वैज्ञानिकों को लाभ का अनियमित भुगतान”	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य समिति	
221.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 11.6 पर आधारित “खराब निधि प्रबंधन”	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य समिति	
222.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 12.1 पर आधारित “छह साल से निधियों की अवरुद्धता एवं ब्याज की हानि ”	गृह	मुख्य समिति	
223.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 12.2 पर आधारित “2011 में पूरे हुए भवनों का कब्जा स्थानांतरित करवाने में सीपीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यू की विफलता के कारणवश निष्फल खर्च”	गृह	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
224.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 12.3 पर आधारित “सीवरेज प्रभारों का अपरिहार्य भुगतान”	गृह	मुख्य समिति	
225.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 12.4 पर आधारित “बिजली पर अधिक तथा दण्डिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान”	गृह	मुख्य समिति	
226.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.1 पर आधारित “वित्तीय प्रबंधन एवं अवसंरचना विकास”	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
227.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.2 पर आधारित “अधिक भुगतान की अनियमित छूट”	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
228.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.3 पर आधारित “परियोजना केन्द्रीय विद्यालय पर अनियमित व्यय”	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
229.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.4 पर आधारित “निर्माण कार्य ठेका तथा सम्पदा प्रबन्धन में अनियमितताएं”	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	एम् एन् आई टी जयपुर
230.	“नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.5 पर आधारित “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में निर्माण कार्यकलाप”	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
231.	नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.6 पर आधारित "निष्क्रिय व्यय"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
232.	नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.7 पर आधारित "सेवा कर का अनियमित भुगतान"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
233.	नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.8 पर आधारित "पेंशन लाभों का अनियमित भुगतान"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
234.	नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.9 पर आधारित "निष्फल व्यय"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
235.	नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.10 पर आधारित "वेतन के गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
236.	नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.11 पर आधारित "वेतन के गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
237.	नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.12 पर आधारित "चारदीवारी के निर्माण पर निष्फल एवं व्यर्थ व्यय"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
238.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.13 पर आधारित "चिकित्सा भत्ता का अनियमित भुगतान"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
239.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.14 पर आधारित "निष्फल व्यय"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
240.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.15 पर आधारित "पांच केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा एलटीसी दावों की अनियमित प्रतिपूर्ति"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
241.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.16 पर आधारित "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अनियमित कार्यान्वयन के कारण अधिक भुगतान"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
242.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.17 पर आधारित "निधियों का अवरोधन और अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त न करना"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
243.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.18 पर आधारित "विद्युत खपत पर दंड प्रभारों के प्रति परिहार्य व्यय"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
244.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.19 पर आधारित "अध्यापन संकाय को परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान"	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	
245.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 13.20 पर आधारित "हैदराबाद स्कूल विश्वविद्यालय	मानव संसाधन विकास	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
	का केन्द्रीय विद्यालय परियोजना स्कूल में अनुचित रूपान्तरण”			
246.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 14.1 पर आधारित “ भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे का कार्यकरण”	सूचना और प्रसारण	मुख्य समिति	
247.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 15.1 पर आधारित “सरकारी आवासों की अनधिकृत कब्जे की निगरानी में विफलता”	श्रम और रोजगार	मुख्य समिति	
248.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 16.1 पर आधारित “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन”	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	मुख्य समिति	
249.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 17.1 पर आधारित “सेवा प्रभारों की वसूली न होना”	खान	मुख्य समिति	
250.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 18.1 पर आधारित “त्रुटिपूर्ण आयोजना बनाने के कारण निष्फल व्यय”	सड़क परिवहन और राजमार्ग	मुख्य समिति	
251.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 19.1 पर आधारित “पार्किंग प्रभारों के संशोधन करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि”	पोत परिवहन	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
252.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 19.2 पर आधारित “एक निजी पार्टी से आश्वासित सवार सह घाट भाड़ा प्रभागों की कम वसूली”	पोत परिवहन	मुख्य समिति	
253.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 19.3 पर आधारित “प्रत्याशित लाभों की गैर-प्राप्ति तथा निधियों का अवरोधन”	पोत परिवहन	मुख्य समिति	
254.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 19.4 पर आधारित “बकाए दावों की गैर-वसूली”	पोत परिवहन	मुख्य समिति	
255.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 19.5 पर आधारित “शिक्षा शुल्क की अनियमित प्रतिपूर्ति”	पोत परिवहन	मुख्य समिति	
256.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 19.6 पर आधारित “पट्टा करार को तैयार करने में उचित सचेतना की कमी के कारण राजस्व की हानि”	पोत परिवहन	मुख्य समिति	
257.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 20.1 पर आधारित “पूँजीगत आर्थिक सहायता के संवितरण पर योजना उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में विफलता”	वस्त्र	मुख्य समिति	



1	2	3	4	5
258.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 21.1 पर आधारित "कार्यालयी परिसरों के अधिग्रहण में हानि"	जनजातीय कार्य	मुख्य समिति	
259.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 22.1 पर आधारित "समापन सह-अधिभोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति न होने के कारण वित्तीय हानि"	शहरी विकास	मुख्य समिति	
260.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 22.2 पर आधारित "विभागीय प्रभार वसूल करने में विफलता के कारण हानि"	शहरी विकास	मुख्य समिति	
261.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 22.3 पर आधारित "ठेकेदार को अनुचित लाभ"	शहरी विकास	मुख्य समिति	
262.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा 23.1 पर आधारित "नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) में वित्तीय प्रबंधन"	युवा कार्यक्रम और खेल	मुख्य समिति	
263.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 2.1 पर आधारित "विवाहितों के लिए आवास परियोजना (एमपी) संबंधी महानिदेशालय का कार्यसंचालन"	रक्षा	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
264.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 2.2 पर आधारित "जेली फील्ड केबल की अधिप्राप्ति में हानि"	रक्षा	मुख्य समिति	
265.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 2.3 पर आधारित "माइक्रो लाइट वायुयान की अधिप्राप्ति एवं पूर्ण मरम्मत"	रक्षा	मुख्य समिति	
266.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 3.1 पर आधारित "रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले रेल वैगनों/ डिब्बों का प्रबंधन"	रक्षा	मुख्य समिति	थल सेना
267.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 3.2 पर आधारित "थल सेवा में गोलाबारूद- अनुवर्ती लेखापरीक्षा"	रक्षा	मुख्य समिति	
268.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 3.3 पर आधारित "प्रस्ताव की वैधता के अंदर आदेश न देने के कारण अतिरिक्त व्यय"	रक्षा	मुख्य समिति	थल सेना
269.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 3.4 पर आधारित "सैन्य स्टेशनों में लगे मोबाइल टावरों के संदर्भ में किराए एवं प्रीमियम की गैर-वसूली के कारण हानि"	रक्षा	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
270.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 3.5 पर आधारित “बेमेल उपकरण की अधिप्राप्ति पर व्यर्थ व्यय”	रक्षा	मुख्य समिति	थल सेना
271.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 3.6 पर आधारित “कैटल पेरीमीटर फैंसिंग पर अनावश्यक व्यय”	रक्षा	मुख्य समिति	
272.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 3.7 पर आधारित “दोषपूर्ण उपकरणों की खरीद की वजह से नुकसान”	रक्षा	मुख्य समिति	थल सेना
273.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 4.1 पर आधारित “परामर्श शुल्क का अनावश्यक भुगतान”	रक्षा	मुख्य समिति	
274.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 4.2 पर आधारित “केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा में सुरक्षा दीवार के आंशिक निर्माण पर 2.51 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय”	रक्षा	मुख्य समिति	
275.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 4.3 पर आधारित “कार्य के निष्पादन पर अनुचित व्यय”	रक्षा	मुख्य समिति	एमईएस
276.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 4.4 पर आधारित “सुरक्षा दीवार के निर्माण पर किया गया निष्फल व्यय”	रक्षा	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
277.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 4.5 पर आधारित "विद्युत प्रभारों के लिए 32.13 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान"	रक्षा	मुख्य समिति	
278.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 4.6 पर आधारित "परिसंपत्तियों का उपयोग न होना"	रक्षा	मुख्य समिति	
279.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 5.1 पर आधारित "परिहार्य अतिरिक्त व्यय"	रक्षा	मुख्य समिति	सीमा सड़क संगठन
280.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 6.1 पर आधारित "एक एकीकृत ऐरोस्टेट निगरानी प्रणाली का विकास"	रक्षा	मुख्य समिति	
281.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 6.2 पर आधारित "परियोजना के समापन के बाद वाहन परीक्षण ग्राउंड के निर्माण के लिए अनियमित संस्वीकृति और 5.20 करोड़ रुपए का व्यय"	रक्षा	मुख्य समिति	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
282.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 6.2 पर आधारित "19.53 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय"	रक्षा	मुख्य समिति	
283.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 7.1 पर आधारित "आयुध फैक्ट्री का कार्यनिष्पादन"	रक्षा	मुख्य समिति	आयुध फैक्ट्री संगठन

1	2	3	4	5
284.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 7.2 पर आधारित "आयुध फैक्ट्रियों में आयात अनुबंध का प्रबंधन"	रक्षा	मुख्य समिति	आयुध फैक्ट्री बोर्ड
285.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 7.3 पर आधारित "सी.एन.सी. मशीनों के चलन के बाद श्रम अनुमानों में संशोधन न करना एवं उजरती कार्य लाभ का गलत भुगतान"	रक्षा	मुख्य समिति	
286.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 7.4 पर आधारित "निर्माण अधिपत्रों का प्रबंधन"	रक्षा	मुख्य समिति	
287.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 7.5 पर आधारित "दोषयुक्त रेडिएटर्स की अधिप्राप्ति"	रक्षा	मुख्य समिति	आयुध फैक्ट्री बोर्ड
288.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 7.6 पर आधारित "त्रुटिपूर्ण अन्वेषण में विलंब के कारण खाली फ्यूज ए-670 एमके अस्वीकृति के लिए 31.32 करोड़ रुपए की परिहार्य हानि"	रक्षा	मुख्य समिति	आयुध फैक्ट्री बोर्ड
289.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 7.7 पर आधारित "पूर्ववर्ती अस्वीकृति के यथार्थ कारणों को निरूपित करने में विफलता के कारण परिहार्य अस्वीकरण"	रक्षा	मुख्य समिति	
290.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 7.8 पर आधारित "महंगी मशीनों का न्यून उपयोग"	रक्षा	मुख्य समिति	
291.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा 7.9 पर आधारित "टैंक टी-72 के बी.एल.टी. वैरियन्ट के उत्पादन में विलंब"	रक्षा	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
292.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 2.1 पर आधारित “निविदा प्रक्रिया के बगैर औषधि के क्रय पर परिहार्य व्यय”	परमाणु ऊर्जा	मुख्य समिति	
293.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 2.2 पर आधारित “परमाणु ऊर्जा विभाग के स्वायत्त निकायों में मानव संसाधन प्रबंधन”	परमाणु ऊर्जा	मुख्य समिति	
294.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 2.3 पर आधारित “उपकरण के गैर-प्रतिष्ठापन के कारणवश राशि का अवरुद्ध होना”	परमाणु ऊर्जा	मुख्य समिति	
295.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 2.4 पर आधारित “आवासीय फ्लैटों का अनियमित निर्माण तथा अनुदान निधि का व्यपवर्तन”	परमाणु ऊर्जा	मुख्य समिति	
296.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 3.1 पर आधारित “अन्य संगठन को हस्तांतरित किए जा चुके परिसर पर अनियमित व्यय”	परमाणु ऊर्जा	मुख्य समिति	
297.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 3.2 पर आधारित “अधिक नियुक्तियों और कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण अनधिकृत व्यय”	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
298.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 3.3 पर आधारित “परिवहन भत्ते का अधिक भुगतान”	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

1	2	3	4	5
299.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 4.1 पर आधारित “राष्ट्रीय मानचित्रण नीति 2005 का अपर्याप्त कार्यान्वयन”	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	
300.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 5.1 पर आधारित “वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में मानव संसाधन का प्रबंधन”	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
301.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 5.2 पर आधारित “उपकरण का गैर-प्रतिष्ठापन”	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
302.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 5.3 पर आधारित “स्वचालित दृश्य सीमा निर्धारक प्रणाली का गैर-संचालन”	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
303.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 5.4 पर आधारित “अप्रयुक्त भूमि के गैर-निपटान के कारण परिहार्य व्यय”	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	मुख्य समिति	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
304.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 6.1 पर आधारित “वीसैट सेवाओं का प्रबंधन”	अंतरिक्ष	मुख्य समिति	
305.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 6.2 पर आधारित “पूर्व-परियोजन गतिविधियों पर अनियमित व्यय”	अंतरिक्ष	मुख्य समिति	
306.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 6.3 पर आधारित “व्यावसायिक अंतरिक्ष यान की सुपुर्दगी में वित्तीय विवेक की कमी तथा अनुचित अनुबंध प्रबंधन”	अंतरिक्ष	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
307.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 6.4 पर आधारित "पारिस्थितिकी रूप से नाजुक भूमि की खरीद में निष्फल व्यय"	अंतरिक्ष	मुख्य समिति	
308.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 7.1 पर आधारित "अनुचित अनुबंध प्रबंधन के कारण ईंधन शुल्क की गैर-वसूली"	पृथ्वी विज्ञान	मुख्य समिति	
309.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 17 के पैरा 7.2 पर आधारित "पदोन्नति योजना का अनियमित कार्यान्वयन"	पृथ्वी विज्ञान	मुख्य समिति	
310.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के अध्याय-दो पर आधारित "भारतीय नौसेना में नौसैनिक भण्डार तथा उपकरण एवं अतिरिक्त पुर्जों के इनवेंट्री प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा"	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
311.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.1 पर आधारित "भारतीय नौसेना में पोतों और पनडुब्बियों की दुर्घटनाएं"	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
312.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.2 पर आधारित "समुद्री गैस टरबाइन ओवरहाल सुविधा का कार्यक्रम"	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
313.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.3 पर आधारित "यूपी-3 एच हेलीकॉप्टरों का संचालन और रखरखाव"	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
314.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.4 पर आधारित "पेरिस्कोप की स्थापना में विलम्ब के कारण सिंधुघोष वर्ग की पनडुब्बियों का जोखिम भरा उपयोग"	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना



1	2	3	4	5
315.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.5 पर आधारित “अनिवार्य तंत्र की स्थापना न करने के कारण विमान की उड़ान सुरक्षा से समझौता”	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
316.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.6 पर आधारित “ऑफसेट दायित्व के फलन में देरी के कारण बेड़े के टैकरों का भेद्य होना”	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
317.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.7 पर आधारित “दिल्ली क्षेत्र में नौसैनिक अधिकारियों द्वारा लघु-शस्त्र फायरिंग अभ्यास की कमी”	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
318.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.8 पर आधारित “एक हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए एयरो इंजन की अनुचित अधिप्राप्ति”	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
319.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.9 पर आधारित “एक विमान के लिए मोबाइल सैटेलाइट सर्विस टर्मिनल की परिहार्य अधिप्राप्ति एवं स्थापना”	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
320.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.10 पर आधारित “डोर्नियर विमानों के लिए मौसम राडारों की अधिप्राप्ति”	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
321.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 3.11 पर आधारित “चावल की खरीद पर परिहार्य व्यय”	रक्षा	मुख्य समिति	नौसेना
322.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 20 के पैरा 4.1 पर आधारित “एक पोत निर्माणी को विदेशी विनिमय दर में अंतर के कारण ₹ 5.23 करोड़ का अनियमित भुगतान”	रक्षा	मुख्य समिति	तटरक्षक बल

1	2	3	4	5
323.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 2.1 पर आधारित “डीओपी में मेल मोटर सर्विस का कार्यकरण”	संचार	मुख्य समिति	डक विभाग
324.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 2.2 पर आधारित “निधियों को अनियमित रूप से रखने के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि”	संचार	मुख्य समिति	डक विभाग
325.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 2.3 पर आधारित “अपंजीकृत समाचार पत्रों पर राजस्व की हानि”	संचार	मुख्य समिति	डक विभाग
326.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 2.4 पर आधारित “ढुलाई शुल्क का अधिक भुगतान”	संचार	मुख्य समिति	डक विभाग
327.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 2.5 पर आधारित “रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीनों के किराये पर लेने पर परिहार्य भुगतान”	संचार	मुख्य समिति	डक विभाग
328.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 3.1 पर आधारित “निधियों का अवरोधन एवं निष्फल फोरेक्स निर्गम”	इलेक्ट्रॉनिक्स	मुख्य समिति	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
329.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 3.2 पर आधारित “किराये का अधिक भुगतान”	इलेक्ट्रॉनिक्स	मुख्य समिति	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
330.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 4.1 पर आधारित “भारत संचार निगम लिमिटेड में वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा”	संचार	मुख्य समिति	

1	2	3	4	5
331.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 4.2 पर आधारित “महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड—उपभोक्ता अर्जन फार्म का अपर्याप्त प्रमाणन”	संचार	मुख्य समिति	दूरसंचार विभाग
332.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 4.3 पर आधारित “महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड—भवन में अधिकृत स्थान के लिए किराए के बिल को जारी करने में विलंब”	संचार	मुख्य समिति	दूरसंचार विभाग
333.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 के पैरा 4.4 पर आधारित “राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं इंक—आंतरिक साज-सज्जा एवं किराए पर लिए गए भवन पर रु० 15.54 करोड़ का निष्फल व्यय”	इलेक्ट्रॉनिक्स	मुख्य समिति	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
334.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 27 पर आधारित “निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/चिकित्सा क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों/अनुसंधान संस्थानों, डायग्नोस्टिक केन्द्रों/पैथालॉजिकल लैब और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/ भंडारों का निर्धारण”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर
335.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 28 पर आधारित “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट”	वित्त	मुख्य समिति	वित्तीय सेवाएं विभाग
336.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 32 पर आधारित “2015-16 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का अनुपालन”	वित्त	मुख्य समिति	आर्थिक कार्य विभाग

1	2	3	4	5
337.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 35 पर आधारित “निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2014-15 तक की राजस्व हिस्सेदारी”	संचार	मुख्य समिति	दूरसंचार विभाग
338.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 36 पर आधारित “भारतीय रेल के यात्री कोचों में बायो-टॉयलेट का अधिष्ठापन”	रेलवे	मुख्य समिति	
339.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 37 पर आधारित “खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन”	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	मुख्य समिति	
340.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 39 पर आधारित “गंगा नदी का पुनरुद्धार (नमामि गंगे)”	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण	मुख्य समिति	
341.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 40 पर आधारित “राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग
342.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 41 पर आधारित “राजस्व विभाग-सीमा शुल्क”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग
343.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 42 पर आधारित “अप्रत्यक्ष कर-केंद्रीय उत्पाद शुल्क”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग
344.	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 43 पर आधारित “अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर”	वित्त	मुख्य समिति	राजस्व विभाग

श्रेणी दो

क्र० सं०	विषय	मंत्रालय/विभाग
1.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में संसाधनों के गैर-व्यपगत केंद्रीय पूल के तहत सार्वजनिक व्यय की जांच	डोनर
2.	भारतीय अवसंरचना ऋण निधि	वित्त
3.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	गृह
4.	रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण	रेलवे
5.	सार्वजनिक संस्थानों में अशोध्य ऋण	वित्त
6.	मौद्रिक नीति की समीक्षा	वित्त
7.	पीपीपी परियोजनाएं	पेयजल और स्वच्छता, नौवहन, शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन

परिशिष्ट तीन  
(देखिए पैरा 1.5)

लोक लेखा समिति (2017-18) की उप-समितियों की संरचना

(एक) उप समिति-एक (रक्षा)

संयोजक	:	1. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी*
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री नेफिउ रिओ
सदस्य	:	3. श्रीमती रीती पाठक
		4. श्री भर्तृहरि महताब
		5. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
		6. श्री निशिकान्त दुबे
		7. श्री मोहम्मद अली खान

(दो) उप समिति - दो (रेलवे)

संयोजक	:	1. डॉ० किरिट सौमैया
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री नरेश अग्रवाल†
सदस्य	:	3. श्री भुवनेश्वर कालिता
		4. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
		5. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
		6. प्रो० राम शंकर

(तीन) उप समिति - तीन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर)

संयोजक	:	1. श्री निशिकान्त दुबे
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
सदस्य	:	3. श्री शिवकुमार सी० उदासि
		4. श्री भूपेन्द्र यादव
		5. श्री सुखेन्दु शेखर राय
		6. श्री अजय संचेती

(चार) उप समिति-चार (सिविल मंत्रालय और की गई कार्रवाई टिप्पण को समय पर प्रस्तुत करने का गैर-अनुपालन)

संयोजक	:	1. श्री भर्तृहरि महताब
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री गजानन कीर्तिकर
सदस्य	:	3. श्री निशिकान्त दुबे
		4. डॉ० पी० वेणुगोपाल
		5. श्री अजय संचेती
		6. श्री शिवकुमार उदासि
		7. श्री मोहम्मद अली खान

\* 2 अप्रैल, 2018 को राज्य सभा से उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

† 3 अप्रैल, 2018 को राज्य सभा से उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

## (पांच) उप-समिति पांच (रेलवे के अलावा बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं)

संयोजक	:	1. श्री सुखेन्द्र शेखर राय
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
सदस्य	:	3. श्री अभिषेक सिंह
		4. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
		5. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी†
		6. प्रो० राम शंकर

## (छह) उप-समिति-छह (सामाजिक क्षेत्र)

संयोजक	:	1. श्री शिवकुमार सी० उदासि
वैकल्पिक संयोजक	:	2. डॉ० पी० वेणुगोपाल
सदस्य	:	3. श्री नेफिउ रिओ
		4. श्री नरेश अग्रवाल*
		5. श्री गजानन कीर्तिकर
		6. श्री भुवनेश्वर कालिता

## (सात) उप-समिति-सात (पीपीपी परियोजनाएं)

संयोजक	:	1. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी*
सदस्य	:	2. श्री भर्तृहरि महताब
	:	3. डॉ० किरिट सोमैया
	:	4. डॉ० पी० वेणुगोपाल
	:	5. श्री निशिकान्त दुबे
	:	6. श्री गजानन कीर्तिकर

## (आठ) उप-समिति-आठ (वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक के लिए हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन शेयरिंग संविदा अनुवर्ती लेखा परीक्षा)

संयोजक	:	1. श्री सुखेन्दु शेखर राय
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री निशिकान्त दुबे
सदस्य	:	3. श्री भर्तृहरि महताब
		4. डॉ० पी० वेणुगोपाल
		5. श्री अजय संचेती*
		6. श्री भुवनेश्वर कालिता

†2 अप्रैल, 2018 को राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

\*2 अप्रैल, 2018 को राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

**परिशिष्ट चार**  
(देखिए पैरा 1.6)

लोक लेखा समिति (2017-18) की बैठकों की तिथियों एवं उनकी अवधि के  
ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(मूल समिति)

क्रम सं०	बैठक की तिथि	समय		अवधि		उपस्थित सदस्यों की संख्या	जिन विषयों पर चर्चा की गई
		से	तक	घंटे	मिनट		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	09.05.2017	1100	1230	01	30	11	लोक लेखा समिति के सभापति का उद्घाटन; (दो) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से चर्चा; और (तीन) वर्ष 2017-18 के दौरान जांच हेतु विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन सं० 1 पर विचार।
2.	19.05.2017	1100	1240	01	40	11	(एक) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नारियल विकास बोर्ड और सेंट्रल एविअन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों के निम्नलिखित विषयों पर आगे मौखिक साक्ष्य: (क) “अलग-अलग केंद्रीय स्वायत्त निकायों के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं० 33 के पैरा 1.4.2 (न और प) पर आधारित लेखाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां; (ख) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा 2.1 पर आधारित विषय ‘धन का अवरोधन’ और (ग) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा 2.2 पर आधारित विषय उक्त उद्देश्य का हासिल न होना;
3.	26.05.2017	1100	1240	01	40	14	(एक) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 पर आधारित निम्नलिखित विषयों पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग में ऋणों का अपर्याप्त अनुवर्तन (पैरा 12.1) और; (ख) ‘केवीआईसी द्वारा एसएफयूआरटीआई का कार्यान्वयन (पैरा 12.2) (दो) नियंत्रक और



1	2	3	4	5	6	7	8
							महालेखा परीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं० 5 पर 'स्ट्रेस्ड असेट्स स्टेबलाइजेशन फंड' के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
4.	02.06.2017	1100	1230	01	30	14	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 पर आधारित निम्नलिखित विषयों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; (क) 'डॉ० राम मनोहर लोहिया अस्पताल-धन का अवरोधन और उपकरणों का अनुपयोग' (पैरा 8.1); (ख) सफदरजंग अस्पताल सेवा प्रभार का अतिशय भुगतान (पैरा 8.2); (ग) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता-वृत्तिका का अतिशय भुगतान (पैरा 8.3); (घ) 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर-सेवा कर के अनियमित भुगतान की वापसी का वसूली न होना' (पैरा 8.4) और (ङ) 'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-परिवहन भत्ता का अतिशय भुगतान' (पैरा 8.5)।
5.	23.06.2017	1500	1615	01	15	13	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं० 17 के अध्याय-पांच पर आधारित विषय 'डीडीए द्वारा जमीन का अधिग्रहण और विकास' पर शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
6.	14.07.2017	1100	1245	01	45	10	(एक) 'वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में संशोधन' विषय पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के प्रतिनिधियों से बातचीत; (दो) 'आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी मुंबई' के मामले में लोक लेखा समिति (15 वीं लोक सभा) के 91वें प्रतिवेदन में यथा अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
7.	09.08.2017	1530	1745	02	15	12	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 25 पर आधारित विषय 'पहल डीबीटीएल/योजना (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना) का कार्यान्वयन'

1	2	3	4	5	6	7	8
							पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; (दो) वर्ष 2017-18 के दौरान जांच हेतु अतिरिक्त विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन सं० 2 पर विचार करना; (तीन) निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना; (क) 'सेंट्रल बफर कपलर (सीबीसी) कम्पोनेन्ट के फेल होने से ट्रेन पार्टिंग का नुकसान विषय पर 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन (ख) 'अनुराग (एएनयूआरएजी) द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय' विषय पर 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन।
8.	23.08.2017	1115	1345	02	30	12	(एक) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा सं० 11.3 पर आधारित विषय 'केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना: नियमों के उल्लंघन में किराया मुक्त जगह' पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; (दो) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 पैरा सं० 13.3 पर आधारित विषय 'प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय पर अनियमित व्यय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य
9.	08.09.2017	1100	1305	02	05	10	(एक) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 40 पर आधारित विषय 'एअर इंडिया लिमिटेड का टर्न अराउण्ड प्लान और वित्तीय पुनर्संरचना प्लान' पर नागर विमानन मंत्रालय और एअर इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; (दो) निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना; (क) 'शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट

1	2	3	4	5	6	7	8
							स्कीम का पालन' विषय पर 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड में भूप्रबंधन विषय पर 53वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन।
10.	27.09.2017	1100	1310	01	10	14	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 पैरा सं० 13.7 और 13.11 पर आधारित विषय 'सेवा कर का अनियमित भुगतान' और 'गुजरात विद्यापीठ—मानव संसाधन प्रबंधन' पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य
11.	06.10.2017	1130	1320	01	50	09	(एक) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के गृह मंत्रालय से संबंधित प्रतिवेदन सं० 11 के पैरा सं० 9.1 और 9.2 के संबंध में लेखा परीक्षा पर चर्चा; (क) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 पर आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित विषय (क) 'खराब योजना से निरर्थक व्यय (पैरा 9.1)', और (ख) 'निरर्थक व्यय (पैरा 9.2)', पर गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; और के मामले में 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
12.	13.10.2017	1100	1340	02	40	13	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 पर आधारित विषय (क) 'राजदूत के आवास पर परिहार्य व्यय (पैरा 9.1)' (ख) 'आंतरिक नियंत्रण के अभाव में कॉन्स्युलेट जनरल ऑफ इंडिया', फ्रैंसिस्को में धोखाधड़ी (पैरा 9.2)'; (ग) 'सरकारी खातों से अलग प्राप्त और व्यय (पैरा 9.3)'; और (घ) 'नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार की स्थापना और कार्य (पैरा 9.4) पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों का

1	2	3	4	5	6	7	8
							मौखिक साक्ष्य; (दो) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 33 पर आधारित 'जनजातीय उपयोजना' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
13.	27.10.2017	1100	1300	02	00	11	(एक) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 21 पर आधारित विषय (क) 'लॉकिंग अप ऑफ फंड्स एंड अनप्रूटफुल फॉरेक्स आउटगो (पैरा 3.1)' (ख) 'किराए का अत्याधिक भुगतान (पैरा 3.2); और (ग) 'भवन किराया और आंतरिक सजावट पर 15.54 करोड़ का निरर्थक व्यय-नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटिड (पैरा 4.4) पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; (दो) 'भारतीय रेल में लौह अयस्क यातायात के परिवहन की दोहरी मालभाड़ा नीति की निष्पादन लेखा परीक्षा' के संबंध में 60वें प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
14.	10.11.2017	1100	1325	02	25	07	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 7 पर आधारित 'कृषि फसल बीमा योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा'' पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
15.	17.11.2017	1100	1300	02	00	10	(एक) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 15 के पैरा सं० 6.3 पर आधारित विषय '19.53 करोड़ रुपए का निरर्थक व्यय; पर रक्षा मंत्रालय एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; (दो) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 17 पर आधारित विषय 'डिजायन, डेवलपमेंट, मैनुफैक्चर एंड इंडक्शन ऑफ लाइट कम्बैट एअर क्राफ्ट' पर रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० (एचएएल), एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए), डीआरडीओ और

1	2	3	4	5	6	7	8
							भारतीय वायु सेना (आईएफ) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
16.	24.11.2017	1100	1300	02	00	10	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 11 पर आधारित निम्नलिखित विषयों पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य: (क) 'नागरिकता के त्याग और पासपोर्ट के दुरुपयोग में प्रभारित शुल्क/अर्थदंड पर विनिमय दर के गलत अंगीकारण से राजस्व का कम संग्रहण (पैरा 7.1); और (ख) 'सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ (पैरा 7.2)'
17.	04.12.2017	1230	1400	01	30	07	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 12 के पैरा सं० 16.1 पर आधारित विषय 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन' पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
18.	08.12.2017	1100	1230	01	30	09	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं० 27 के पैरा सं० 6.4 पर आधारित विषय पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
19.	29.12.2017	1000	1035	00	35	11	वर्ष 2017-18 के दौरान जांच हेतु अतिरिक्त विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन सं. 3 पर विचार; और (दो) निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (क) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं. 24 (भाग-दो) के अध्याय एक पर आधारित विषय 'भारतीय रेल में पुलों का रख-रखाव' के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन; और (ख) के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन।
20.	30.01.2018	1230	1430	02	00	14	(एक) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 15 के पैरा सं. 7.6 पर आधारित विषय रक्षा मंत्रालय और ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; (दो) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 20 के पैरा सं. 3.10 पर आधारित विषय 'डोर्नियर एअरक्राफ्ट के लिए मौसमी रडारों की खरीद पर रक्षा मंत्रालय,

1	2	3	4	5	6	7	8
							भारतीय नौ सेना और हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों का मोखिक साक्ष्य: (तीन) निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (क) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं. 24 (भाग-दो) के अध्याय एक पर आधारित विषय 'भारतीय रेल में पुलों का रख-रखाव' के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन; (ख) के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन; और (ग) 'सिविल मंत्रालय और की गई कार्रवाई टिप्पणों (डाक विभाग) के समय से प्रस्तुतीकरण में अनुपालन' के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन।
21.	15.03.2018	1500	1540	00	40	11	निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (एक) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं. 21 पर आधारित विषय 'विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के निष्पादन' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; और (दो) के संबंध में 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन।
22.	23.03.2018	1500	1530	00	30	12	निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (क) नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं. 23 पर आधारित विषय 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन; (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं. 24 पर आधारित विषय 'भारतीय रेल की खाली जमीन का प्रबंधन' के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन; (ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं. 11 के क्रमशः पैरा सं. 11.1 और 11.2 पर आधारित विषय 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के कार्यक्रम और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता का अकादमिक कार्यक्रम' के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन; (घ) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं. 11 ( पैरा सं. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, और 8.5) और वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं. 12 ( पैरा सं. 11.3) पर आधारित विषय 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण' के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन; (ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं. 12 के अध्याय-छह पर आधारित विषय 'नशीले पदार्थों का प्रबंधन' के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन; (च) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीईसी) से संबंधित विषय 'सीमा शुल्क बंदरगाहों से आयात-निर्यात व्यापार सुविधा का कार्य निष्पादन' के संबंध में 75वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; (छह) 'रत्न एंड आर-सिरीज हाइड्रोकॉबन फील्ड्स' के संबंध में समिति के 62वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; (ज) 'भारतीय रेल में उपनगरीय रेल सेवा' के संबंध में 69वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; (झ) 'भारतीय रेल में वाणिज्यिक प्रचार' के संबंध में 70वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; (ञ) 'शेयर्ड मोबाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम' के संबंध में 64वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; और (ट) 'भारत में आपदा संबंधी तैयारी' के संबंध में 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन;</p>
23.	10.4.2018	1100	1140	00	40	08	<p>निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना; (एक) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 27 पर</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>आधारित विषय 'स्वास्थ्य और अनुषंगी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों का आकलन'; (दो) 'धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं का छूट' विषय के संबंध में लोक सभा लेखा समिति (16वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में समिति की अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई; (तीन) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं. 30 के पैरा 2.1 पर आधारित विषय 'रक्षा भूमि का अनुचित प्रबंधन'; और (चार) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं. 24 के पैरा 2.1 पर आधारित विषय 'अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन संबंधी आधारभूत संरचनाओं का सृजन'</p>
24.	17.04.2018	1400	1605	02	05	09	<p>(क) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं. 40 पर आधारित विषय 'टर्नअराउण्ड प्लान एंड फाइनेन्शियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ एअर इंडिया लिमिटेड' पर एअर इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों के विभिन्न संघों/संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा; (ख) उक्त विषय पर नागर विमानन मंत्रालय और एअर इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।</p>



परिशिष्ट पांच

(देखिए पैरा 1.6)

लोक लेखा समिति (2017-18) के प्रत्येक सदस्यों द्वारा बैठकों में शामिल होने की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

01.05.2017 से 30.04.2018 तक हुई कुल बैठकों की संख्या-82

(मुख्य समिति, उप-समितियां और उप-समूह)

क्रम सं०	सदस्य का नाम		कितनी बैठकों में शामिल हुए
1	2	3	4
1.	श्री मल्लिकार्जुन खरगे	सभापति	23
		लोक सभा	
2.	श्री सुदीप बंधोपध्याय	सदस्य	01
3.	श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया	सदस्य	27 (उप-समिति-दो की 6 बैठकों शामिल हैं)
4.	श्री प्रेमसिंह चन्दूमाजरा	सदस्य	20 (उप-समिति-पांच की 3 बैठकों शामिल हैं)
5.	श्री निशिकांत दुबे	उप-समिति-तीन के संयोजक	56 (उप-समिति-एक की 2 बैठकों, उप-समिति-तीन की 18 बैठकों, उप-समिति-चार की 11 बैठकों, उप-समिति-सात की 1 बैठक और उप-समिति-आठ की 3 बैठकों शामिल हैं)
6.	श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर	सदस्य	12 (उप-समिति-चार की 4 बैठकों, उप-समिति-छह की 3 बैठकों, शामिल हैं)
7.	श्री भर्तृहरि महताब	उप-समिति-चार के संयोजक	35 (उप-समिति-एक की 2 बैठकों, उप-समिति-चार की 14 बैठकों, उप-समिति-सात की 3 बैठकों और उप-समिति-आठ की 2 बैठकों शामिल हैं)
8.	श्रीमती रीती पाठक	सदस्य	08
9.	श्री नेफिऊ रियो	सदस्य	04 (उप-समिति-छह की 2 बैठकों शामिल हैं)
10.	श्री अभिषेक सिंह	सदस्य	09
11.	प्रो० राम शंकर	सदस्य	04 (उप-समिति-दो की 1 बैठक शामिल है)

1	2	3	4
12.	डॉ० किरिट सोमैया	उप-समिति-दो के संयोजक	26 (उप-समिति-दो की 7 बैठकें और उप-समिति-छह की 2 बैठकें शामिल हैं)
13.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	सदस्य	14 (उप-समिति-दो की 4 बैठकें और उप-समिति-पांच की 1 बैठक शामिल है)
14.	श्री शिवकुमार उदासि	उप-समिति-छह के संयोजक	46 (उप-समिति-तीन की 15 बैठकें, उप-समिति-चार की 10 बैठकें और उप-समिति-छह की 4 बैठकें शामिल हैं)
15.	डॉ० पी० वेणुगोपाल	सदस्य	43 (उप-समिति-चार की 13 बैठकें, उप-समिति-छह की 5 बैठकें, उप-समिति-सात की 2 बैठकें और उप-समिति-आठ की 3 बैठकें शामिल हैं)
<b>राज्य सभा</b>			
16.	श्री नरेश अग्रवाल	सदस्य	13 (उप-समिति-छह की 5 बैठकें शामिल हैं)
17.	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	उप-समिति-एक और सात के संयोजक	18 (उप-समिति-एक की 1 बैठक, उप-समिति-तीन की 5 बैठकें और उप-समिति-पांच की 1 बैठक शामिल है)
18.	श्री भुवनेश्वर कालिता	सदस्य	27 (उप-समिति-दो की 3 बैठकें, उप-समिति-छह की 3 बैठकें और उप-समिति-आठ की 1 बैठक शामिल है)
19.	श्री मोहम्मद अली खान	सदस्य	05 (उप-समिति-चार की 2 बैठकें शामिल हैं)
20.	श्री सुखेन्दु शेखर राय	उप-समिति-पांच और आठ के संयोजक	10 (उप-समिति-तीन की 2 बैठकें, उप-समिति-पांच की 1 बैठक और उप-समिति-सात की 3 बैठकें शामिल हैं)

1	2	3	4
21.	श्री अजय संचेती	सदस्य	35 (उप-समिति-तीन की 10 बैठकें और उप-समिति-चार की 9 बैठकें शामिल हैं)
22.	श्री भूपेन्द्र यादव	सदस्य	18 (उप-समिति-दो की 1 बैठक और उप-समिति-तीन की 9 बैठकें शामिल हैं)

परिशिष्ट छह

(देखिए पैरा 1.6)

लोक लेखा समिति (2017-18) की उप-समितियों की बैठकों की तिथियां और अवधि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	बैठक की तिथि	समय		अवधि		उपस्थित सदस्यों की संख्या	जिन विषयों पर चर्चा की गई
		से	तक	घंटे	मिनट		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>उप समिति-एक</b>							
1.	25.05.2017	1500	1600	01	00	03	सी एंड एजी के वर्ष 2016 के रिपोर्ट सं० 19 के पैरा 6.1 पर (एक) 'मोबाइल नाइट्रोजन गैस जनरेटर संयंत्र की परिहार्य खरीद'; (दो) पैरा 6.2 पर आधारित "सामग्री का अलाभप्रद प्रापण" से संबंधित विषयों पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
2.	10.11.2017	1500	1600	01	00	03	सी एंड एजी के वर्ष 2013 के रिपोर्ट सं० 30 के पैरा 2.1 पर आधारित "रक्षा भूमि का अनुचित प्रबंधन" विषय के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
<b>उप समिति-दो</b>							
1.	08.06.2017	1600	1730	01	30	04	निम्नलिखित विषयों पर लेखा परीक्षा द्वारा जानकारी देना (एक) सी एंड एजी के वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं० 19 के अध्याय-तीन पर आधारित "भारतीय रेल में परियोजनाओं का लेखांकन"; (दो) सी एंड एजी के वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं० 26 के पैरा 2.1 पर आधारित "भारतीय रेल में धर्मकांटों का निष्पादन"; (तीन) सी एंड एजी के वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं० 31 (समग्र प्रतिवेदन) पर आधारित "भारतीय रेल में मालगाड़ियों का प्रबंधन"; और (चार) सी एंड एजी के वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं० 24 (खंड 2) के अध्याय-चार पर आधारित "भारतीय रेल में खाली पड़ी भूमि का प्रबंधन"।
2.	28.06.2017	1100	1200	01	00	03	सी एंड एजी के वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं० 24 (खंड-2) के अध्याय-चार पर आधारित "भारतीय रेल में खाली पड़ी भूमि के प्रबंधन" के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	02.08.2017	1700	1800	01	00	04	सी एंड एजी के वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं० 31 (समग्र प्रतिवेदन) पर आधारित "भारतीय रेल में मालगाड़ियों का प्रबंधन" के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
4.	13.09.2017	1130	1250	01	20	03	सी एंड एजी के वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं० 26 के पैरा 2.1 पर आधारित भारतीय रेल में धर्मकांटों का निष्पादन के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
5.	12.10.2017	1400	1500	01	00	03	सी एंड एजी के वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं० 19 के अध्याय-तीन पर आधारित "भारतीय रेल में परियोजनाओं का लेखांकन" के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
6.	11.01.2018	1430	1515	00	45	03	सी एंड एजी के वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं० 24 (खंड-2) के अध्याय चार पर आधारित "भारतीय रेल में खाली पड़ी भूमि के प्रबंधन" के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
7.	20.03.2018	1500	1530	00	30	02	निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और स्वीकार करना: (एक) भारतीय रेल में उपनगरीय रेल सेवा के संबंध में 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंध प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकार करना; और भारतीय रेल में वाणिज्यिक प्रचार के संबंध में 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन।
<b>उप समिति-तीन</b>							
1.	02.06.2017	1400	1500	01	00	03	सी एंड एजी के वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं० 8 के पैरा 1.35 पर आधारित "करों का बकाया" के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
2.	08.06.2017	1600	1700	01	00	04	सी एंड एजी के वर्ष 2015 की प्रतिवेदन सं० 5 (निष्पादन लेखा परीक्षा) (समग्र प्रतिवेदन) पर आधारित "फार्मास्युटिकल क्षेत्र में कर निर्धारितियों का कर निर्धारण" के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	14.06.2017	1400	1500	01	00	03	सी एंड एजी के वर्ष 2015 की प्रतिवेदन सं० 4, अध्याय-दो पर आधारित "बीमा क्षेत्र में सेवा कर देयता" के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
4.	29.08.2017	1500	1615	01	15	05	सी एंड एजी के वर्ष 2013 की प्रतिवेदन सं० 20, पर आधारित "धर्माथ न्यासों और संस्थाओं के लिए छूट" के संबंध में लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए की-गई-कार्रवाई उत्तरों पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
5.	06.09.2017	1200	1340	01	40	04	सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 05 के अध्याय - दो पर आधारित "अनन्तिम अनुमानों (सीमा शुल्क)" के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा जानकारी देना और सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 05 के अध्याय - दो पर आधारित "अनन्तिम अनुमानों (सीमा शुल्क)" के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
6.	21.09.2017	1430	1615	01	45	05	निम्नलिखित पर लेखा परीक्षा द्वारा जानकारी देना: (एक) पैरा सं० 2.2 पर आधारित "निर्धारितियों का पंजीकरण न होना"; और सी एंड एजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 26 पैरा 3.1 पर आधारित 'अदा न किए गए सेवा कर'; और सी एंड एजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 26 के पैरा 3.1 पर आधारित 'अदा न किए गए सेवा कर' और सी एंड एजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 26 के पैरा 3.1 पर आधारित 'अदा न किए गए सेवा कर' और पैरा 2.2 पर आधारित निर्धारितियों का पंजीकृत न होना, के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
7.	27.09.2017	1445	1615	01	30	03	(एक)सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 03 के अध्याय 6 पर आधारित 'कर मांग की बकाया को बट्टे खाते में डालना' विषय पर लेखा परीक्षा द्वारा जानकारी देना। (दो) सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 03 के अध्याय 6

1	2	3	4	5	6	7	8
							पर आधारित 'कर मांग की बकाया को बट्टे खाते में डालना' विषय पर सीबीडीटी के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
8.	27.10.2017	1630	1800	01	30	03	सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 06 पर आधारित 'नेचुरल अथवा कल्चरड पल्स, कीमती और कम कीमती स्टोन, बहुमूल्य धातुओं, के साथ मेटल्स क्लैड और तत्संबंधी सामग्री, कृत्रिम गहने, सिक्के (सीटीएच का अध्याय 78) संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा के बारे में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
9.	09.11.2017	1530	1630	01	00	02	सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं० 12 के अध्याय 6 पर आधारित 'स्वापक पदार्थों का प्रबंधन' से संबंधित मुद्दे पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के प्रतिनिधियों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
10.	16.11.2017	1200	1400	02	00	02	सी एंड एजी के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 27 पर आधारित 'निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों/मेडिकल क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों/ अनुसंधान संस्थानों, नैदानिक क्षेत्रों, पैथोलॉजिकल लैबों और अन्य चिकित्सकीय आपूर्ति/स्टोर्स के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
11.	22.11.2017	1500	1520	00	20	02	आर्बटिट विषयों और भावी कार्य योजना पर उप-समिति के प्रतिवेदनों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित तैयारी/प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने पर विचार करना।
12.	04.12.2017	1500	1615	01	15	02	सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं० 12 के अध्याय 6 पर आधारित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
13.	08.02.2018	1500	1620	01	20	03	सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 42 के क्रमशः पैरा सं० 6.1 और 6.4 पर आधारित 'ईडीआई प्रणाली में समुचित आयात डाटा प्रबंधन और रिकार्डों का अनुरक्षण' विषय पर सीबीईसी और भारत पेट्रोलियम निगम लि० के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी देना।

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	01.03.2018	1500	1630	01	30	03	सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 06 पर आधारित 'नेचुरल अथवा कल्चरड पल्स, कीमती और कम कीमती स्टोन, बहुमूल्य धातुओं, के साथ मेटल्स क्लैड और तत्संबंधी सामग्री, कृत्रिम गहने, सिक्के (सीटीएच का अध्याय 71) संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), सीबीडीटी, सीबीईसी और प्रवर्तन निदेशालय के प्रतिनिधियों का आगे साक्ष्य।
15.	13.03.2018	1630	1740	01	10	04	सी एंड एजी के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 27 पर आधारित 'निजी अस्पतालों, नर्सिंग हॉमों/मेडिकल क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों/ अनुसंधान संस्थानों, नैदानिक क्षेत्रों, पैथोलॉजिकल लैबों और अन्य चिकित्सकीय आपूर्ति/स्टोर्स' के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य; और (दो) सी एंड एजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं० 20 पर आधारित "धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के लिए छूट" के संबंध में लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों से संबंधित मुद्दों पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर।
16.	22.03.2018	1000	1045	00	45	03	निम्नलिखित पर विचार कर उन्हें स्वीकार करना: (एक) वित्त मंत्रालय (राजस्व-सीबीईसी विभाग) से संबंधित सीमा शुल्क पत्तों के माध्यम से आयात और निर्यात व्यापार को सुकर बनाने का निष्पादन संबंधी 75वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन; (दो) सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं० 12 के अध्याय 6 पर आधारित 'स्वापक पदार्थों का प्रबंधन' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन।
17.	27.03.2018	1500	1555	00	55	04	सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 06 पर आधारित, 'नेचुरल अथवा कल्चरड पल्स, कीमती और कम कीमती स्टोन, बहुमूल्य धातुओं, के साथ मेटल्स क्लैड और तत्संबंधी सामग्री, कृत्रिम गहने, सिक्के (सीटीएच का अध्याय 71)' संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा से संबंधित



1	2	3	4	5	6	7	8
							मुद्दों पर वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ), सीबीडीटी, सीबीईसी, प्रवर्तन निदेशालय, डीआरआई और सीबीआई के प्रतिनिधियों का आगे साक्ष्य।
18.	02.04.2018	1500	1530	00	30	03	निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकार करना: ( एक ) सी एंड एजी के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन सं० 27 पर आधारित 'निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों/ मेडिकल क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों/अनुसंधान संस्थानों, नैदानिक क्षेत्रों, पैथोलॉजिकल लैबों और अन्य चिकित्सकीय आपूर्ति/स्टोर'; ( दो ) " धमार्थ न्यासों और संस्थाओं के लिए छूट " के संबंध में लोक लेखा समिति ( 16वीं लोक सभा ) के अपने 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई; और सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 06 पर आधारित 'नेचुरल अथवा कल्चरड पल्स, कीमती और कम कीमती स्टोन, बहुमूल्य धातुओं, के साथ मेटल्स क्लैड और तत्संबंधी सामग्री, कृत्रिम गहने, सिक्के ( सीटीएच का अध्याय 71 ) संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा।
19.	17.04.2018	1230	1340	01	10	01	सी एंड एजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 46 पर आधारित 'केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के स्वचालन का कार्यकरण' पर वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) और केंद्रीय उत्पाद कर और सीमा शुल्क बोर्ड ( सीबीईसी ) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
उप-समिति-चार							
1.	08.06.2017	1430	1530	01	00	05	चयन न किए गए लेखा परीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पणों की लंबितता के संबंध में लेखा परीक्षा और निगरानी प्रकोष्ठ वित्त मंत्रालय ( व्यय विभाग ) द्वारा जानकारी देना; और ( दो ) नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 33 पर आधारित जनजातीय उपयोजना संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकार करना।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	14.06.2017	1130	1330	02	00	04	सी एंड एजी के वर्ष 1991 के प्रतिवेदन सं० 8 के अध्याय 13 के पैरा 13 और अध्याय 10 के पैरा 10 पर आधारित (की-गई-टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत करने का अनुपालन न करना) विषय पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; सी एंड एजी के वर्ष 1993 के प्रतिवेदन सं० 8 के अध्याय 31 के पैरा 31 और अध्याय 31 का पैरा 29; सी एंड एजी के वर्ष 1998 के प्रतिवेदन सं० 07 के अध्याय 32 का पैरा 32; सी एंड एजी के वर्ष 2004 के प्रतिवेदन सं० 06 (सीए) के अध्याय 3 का पैरा 3.2; सी एंड एजी के वर्ष 2005 के प्रतिवेदन सं० 06 (सीए) के अध्याय 3 का पैरा 3.2; सी एंड एजी के वर्ष 2007 के प्रतिवेदन सं० 04 के अध्याय 3 का पैरा 3.5; सी एंड एजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 38 के पैरा 3.1; सी एंड एजी के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन सं० 44 के पैरा सं० 3.5 और 4.3; सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 18 का पैरा 4.2; और 5.1; सी एंड एजी के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं० 19 का पैरा 2.4; 3.1, 3.2 और 3.3;
3.	22.06.2017	1130	1300	01	30	03	(एक) सी एंड एजी की वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं० 19 के पैरा सं० 16.1 पर आधारित अनुदानों की अप्रभावी निगरानी (दो) सी एंड एजी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं० 18 के क्रमशः पैरा सं० 14.1 और 14.2 पर आधारित भांखेप्रा के अनप्रयुक्त व्यय और (तीन) भांखेप्रा के अलाभकारी व्यय संबंधी की गई कार्रवाई टिप्पण समय पर प्रस्तुत न करना विषय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, खेल विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
4.	30.06.2017	1100	1240	01	40	04	सी एंड एजी की वर्ष 1998 की रिपोर्ट सं० 5 के पैरा सं० 2.1 और 2.4 वर्ष 2000 की रिपोर्ट संख्या 5 के पैरा सं० 3.1; वर्ष 2003 की रिपोर्ट संख्या 5 के पैरा सं० 3.1; वर्ष 2005 की रिपोर्ट संख्या 5 के पैरा सं० 5.1 और 6.1; वर्ष 2007 (टीए) की रिपोर्ट संख्या 13 के पैरा सं० 5.3; वर्ष 2010-11 (स्टैंडएलोन)

1	2	3	4	5	6	7	8
							सी एंड एजी की रिपोर्ट संख्या 13; वर्ष 2013 के सी एंड एजी की रिपोर्ट संख्या 22 के पैरा सं० 4.1 और 5.2 तथा सी एंड एजी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट संख्या 12 के पैरा सं० 4.1 पर आधारित विषय ( सिविल मंत्रालय और की-गई-कार्रवाई टिप्पणों का समय पर प्रस्तुत न किया जाना) संबंधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ( जैव प्रौद्योगिकी; विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभागों) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
5.	13.07.2017	1500	1630	01	30	05	सी एंड एजी की वर्ष 1989 की रिपोर्ट सं० 02 के पैरा सं० 11 पर आधारित '155 एमएम टोड गन सिस्टम और एम्यूनिशन की खरीद और लाइसेंस उत्पादन' संबंधी "सिविल मंत्रालय और की गई कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना" और सी एंड एजी के वर्ष 1900 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा सं० 9 पर आधारित (क) '155 एमएम टोड गन सिस्टम की खरीद और लाइसेंस उत्पादन' और (ख) काउंटर ट्रेड हेतु बोफोर्स के साथ अनुबंध विषयों पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
6.	16.08.2017	1500	1715	02	15	06	सी एंड एजी के वर्ष 2004 (पीए) की रिपोर्ट सं० 14 पर आधारित 'दिव्यांगों को शक्तियां प्रदान करना' संबंधी 'सिविल मंत्रालय और की गई कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य; सी एंड एजी की वर्ष 2001 की रिपोर्ट सं० 7ए पर आधारित 'आपरेशन विजय हेतु खरीद की समीक्षा' संबंधी 'सिविल मंत्रालय और की गई कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना' विषय पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य;
7.	31.08.2017	1500	1645	01	45	03	सी एंड एजी के वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं० 21 पर आधारित 'विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) संबंधी 'सिविल मंत्रालय और की गई कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना' विषय पर वाणिज्य

1	2	3	4	5	6	7	8
							और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य;
8.	13.09.2017	1130	1245	01	15	06	'सी एंड एजी की वर्ष 2001 की रिपोर्ट सं० 5 के पैरा सं० 5.4; सी एंड एजी की वर्ष 2010-11 (स्टैंडएलोन) की रिपोर्ट सं० 13; सी एंड एजी की वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं० 22 के पैरा सं० 2.2; सी एंड एजी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं० 30 के पैरा सं० 2.1; तथा सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा सं० 2.1 और 2.2 पर आधारित 'सिविल मंत्रालय और की गई कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना' विषय पर परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य;
9.	09.11.2017	1630	1800	01	30	03	सी एंड एजी के वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 34 के पैरा सं० 2.3.1 पर आधारित 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' संबंधी 'सिविल मंत्रालय और की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना' विषय पर संचार मंत्रालय (दूर-संचार विभाग) और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य;
10.	06.12.2017	1500	1530	00	30	04	'सिविल मंत्रालय और की-गई-कार्रवाई टिप्पणों (डाक को) को समय पर प्रस्तुत न किया जाना' विषय पर प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
11.	11.01.2018	1130	1250	01	20	03	सी एंड एजी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं० 45 पर आधारित 'राष्ट्रीय कौशल विकास निधि और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम' संबंधी 'सिविल मंत्रालय और की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना' विषय पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य;
12.	30.01.2018	1100	1200	01	00	06	सी एंड एजी की वर्ष 1989 की रिपोर्ट सं० 02 में पैरा सं० 11 पर आधारित '155 एमएम टोड गन सिस्टम और एम्यूनिशन की खरीद और लाइसेंस उत्पादन' संबंधी सिविल मंत्रालय और की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना और सी एंड एजी की वर्ष 1990 की रिपोर्ट सं० 12 के पैरा

1	2	3	4	5	6	7	8
							सं० 9 पर आधारित (क) '155 एमएम टोड गन सिस्टम की खरीद और लाइसेंस उत्पादन' और (ख) 'काउंटर ट्रेड हेतु बोफोर्स के साथ अनुबंध' से संबंधित विषयों पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
13.	12.03.2018	1530	1600	00	30	04	'विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
14.	16.04.2018	1500	1530	00	30	03	'सिविल मंत्रालय और की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना' विषय पर प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
15.	25.04.2018	1500	1525	00	25	04	'बोफोर्स कांटेक्ट और आपरेशन विजय हेतु खरीद से संबंधित लंबित लेखापरीक्षा पैरा' विषय संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
उप-समिति-पांच							
1.	15.11.2017	1200	1315	01	15	01	सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 24 के पैरा सं० 2.1 पर आधारित 'अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटक आवास और अन्य अवसंरचना का निर्माण' विषय पर गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
2.	30.11.2017	1500	1600	01	00	02	सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 11 के पैरा सं० 10.1 पर आधारित 'हॉस्टल ब्लॉक को क्षति के कारण 5.97 करोड़ रुपए की हानि' विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
3.	04.04.2018	1015	1040	00	25	03	सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 24 के पैरा सं० 2.1 पर आधारित 'अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटक आवास और अन्य अवसंरचना का निर्माण' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
उप-समिति-छह							
1.	15.06.2017	1100	1200	01	00	04	सी एंड एजी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं० 28 पर आधारित 'समग्र स्वच्छता

1	2	3	4	5	6	7	8
							अभियान/निर्मल भारत अभियान' विषय पर लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी देना।
2.	21.06.2017	1100	1230	01	30	04	सी एंड एजी की वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं० 6 पर आधारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) तथा सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 8 पर आधारित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नियम, 2011 (सामाजिक लेखा परीक्षा नियम)' विषय पर लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी देना।
3.	30.06.2017	1530	1730	02	00	05	सी एंड एजी की वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं० 6 पर आधारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) तथा सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 8 पर आधारित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नियम, 2011 (सामाजिक लेखापरीक्षा नियम)' विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
4.	31.08.2017	1200	1325	01	25	03	सी एंड एजी की वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं० 6 पर आधारित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) तथा सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 8 पर आधारित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नियम, 2011 (सामाजिक लेखा परीक्षा नियम)' विषय पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।
5.	07.09.2017	1030	1200	01	30	03	सी एंड एजी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं० 54 पर आधारित 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन हेतु तैयारी' विषय पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
6.	14.03.2018	1500	1540	00	40	04	सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 23 पर आधारित 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>उप-समिति-सात</b>							
1.	09.06.2017	1500	1630	01	30	04	‘पोत परिवहन क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाएं— (अवधारणा, क्रियाविधि और उनका कार्यान्वयन)’ विषय पर पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
2.	16.06.2017	1100	1230	01	30	03	‘पोत परिवहन क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाएं— (अवधारणा, क्रियाविधि और उनका कार्यान्वयन)’ विषय पर विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
3.	30.06.2017	1400	1600	02	00	04	‘पीपीपी परियोजनाएं (अवधारणा, क्रियाविधि और उनका कार्यान्वयन)’ विषय पर वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य और ‘पीपीपी परियोजनाएं (अवधारणा, क्रियाविधि और उनका कार्यान्वयन)’ विषय पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
<b>उप-समिति-आठ</b>							
1.	06.07.2017	1100	1300	02	00	03	(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 11 के अध्याय चौदह पर आधारित ‘वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केजी - डीडब्ल्यूएन - 98/3 हेतु हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध की अनुवर्ती लेखापरीक्षा’ विषय पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 11 के अध्याय चौदह पर आधारित ‘वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 हेतु हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध अनुवर्ती लेखापरीक्षा’ विषय पर तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि० (ओएनजीसी) के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।
2.	08.02.2018	1630	1645	00	15	04	‘हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध संबंधी 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)

1	2	3	4	5	6	7	8
							में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों' पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
3.	13.03.2018	1500	1620	01	20	05	(एक) 'हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध संबंधी लोक लेखा समिति के 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों' और सी सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 11 के अध्याय 14 पर आधारित 'वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केजी - डीडब्ल्यूएन - 98/3 हेतु हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध की अनुवर्ती लेखापरीक्षा' विषय पर विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 11 के अध्याय चौदह पर आधारित 'वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 हेतु हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध की अनुवर्ती लेखापरीक्षा' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।
4.	08.02.2018	1630	1645	00	15	04	'हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध संबंधी 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों' पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
5.	13.03.2018	1500	1620	01	20	05	(एक) 'हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध संबंधी लोक लेखा समिति के 47वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों', और (दो) सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 11 के अध्याय चौदह पर आधारित 'वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 हेतु हाइड्रोकार्बन



1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>उत्पादन सहभागिता अनुबंध की अनुवर्ती लेखापरीक्षा' विषय पर विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सी एंड एजी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट सं० 11 के अध्याय चौदह पर आधारित 'वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए के जी-डीडब्ल्यूएन-98/3 हेतु हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध की अनुवर्ती लेखापरीक्षा' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।</p>

**परिशिष्ट सात**  
(देखिए पैरा 1.8)

लोक लेखा समिति (2017-18) के अध्ययन दौरों के व्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	दौरे की तिथि और अवधि	उन सदस्यों के नाम जो दौरे में शामिल हुए थे	उन स्थानों तथा संगठनों के नाम जहां का दौरा किया गया	विषय, जिनका अध्ययन किया गया
1	2	3	4	5
1.	30.10.2017 से 02.11.2017 (चार दिन)	श्री मल्लिकार्जुन खरगे, श्री भर्तृहरि महताब, श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर, श्री निशिकान्त दुबे, डॉ० पी० वेणुगोपाल, श्री शिवकुमार सी० उदासि, श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा, डॉ० किरीट सोमैया, श्री सुभाष चन्द्र बहेरिया, श्री अजय संचेती, श्री भुवनेश्वर कालिता	चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरु	चेन्नई : (एक) इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक के विशेष संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक वर्ष 2017 के प्रतिवेदन संख्या 28 पर आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूँजीकरण विषय पर इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ तथा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करना; (दो) सीवीआरडीई, अवाडि के विशेष संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वर्ष 2017 प्रतिवेदन संख्या 15 के पैरा 6.3 पर आधारित '19.53 करोड़ रुपये अलाभप्रद व्यय' विषयों पर रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ और सेना, कमबेट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेबलिशमेंट (सीवीआरडीई) अवाडि के प्रतिनिधियों के चर्चा करना; (तीन) चेन्नई पत्तन के विशेष संदर्भ नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वर्ष 2015 के रिपोर्ट संख्या 27 पर आधारित 'प्रमुख पत्तनों पर भूप्रबंधन' विषय के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों और चेन्नई

1	2	3	4	5
				<p>पत्तन न्यास के चेयरमैन के साथ चर्चा करना (चार) तमिलनाडु क्षेत्र के विशेष संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 की रिपोर्ट संख्या 52 पर आधारित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) के संबंध में निष्पादन लेखापरीक्षा विषय पर वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करना; (पांच) दक्षिण भारत क्षेत्र के विशेष संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन संख्या 13 पर आधारित भारतीय रेल में स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन विषय पर रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर), दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) और दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधकों के साथ चर्चा करना।</p> <p><b>हैदराबाद:</b> (एक) नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 के प्रतिवेदन संख्या 17 पर आधारित हल्के लड़ाकू विमानों के डिजाइन, विकास, निर्माण और अधिष्ठापन विषय पर रक्षा मंत्रालय, एचएएल, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा; (दो) तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 की रिपोर्ट संख्या 28 पर आधारित 'अवसंरचना विकास राजस्व में लगे निर्धारितियों की कटौती के भत्ते' विषय पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीडीटी) और पीआर.सीसीआईटी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।</p> <p><b>बंगलुरु:</b> (एक) कर्नाटक क्षेत्र के विशेष संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2015 की</p>

1	2	3	4	5
				रिपोर्ट संख्या 34 पर आधारित भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विषय पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ, एनटीपीसी, विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के चेयरमैन; भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) के चेयरमैन; एनएचपीसी के सीएमडी और कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा; और (दो) केनरा बैंक और विजया बैंक के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक संस्थाओं में अशोध्य ऋण विषय पर केनरा बैंक और विजया बैंक के एमडी और सीईओ तथा वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।
2.	17.02.2018 से 20.02.2018 (चार दिन)	श्री मल्लिकार्जुन खरगे, श्री भर्तृहरि महताब, श्री निशिकांत दुबे, डॉ० पी० वेणुगोपाल, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री शिवकुमार सी० उदासि, डॉ० किरिट सोमैया, श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा, श्री सुभाष चन्द्र बहेरिया, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्री मोहम्मद अली खान, श्री सुखेन्दु शेखर राय, श्री अजय संचेती	कोलकाता, देवघर और मुंबई	कोलकाता: (एक) पश्चिमी बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2016 के प्रतिवेदन संख्या 30 पर आधारित पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम विषय पर विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों और विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) के सीएमडी के साथ और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि० (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक चर्चा की; (दो) कोलकाता पश्चिमी बंगाल के विशेष संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 के प्रतिवेदन संख्या 30 के क्रमशः पैरा सं० 2.5 और 3.3.1 पर आधारित आरक्षित निधि और अभिनश्चित देयता के लिए प्रावधान दोनों के घटक वाली मदों का समाधान और छूट प्राप्त आय या अनुवर्ती संशोधन के कारण ऐसी आय जो अब छूट

1	2	3	4	5
				<p>प्राप्त नहीं है को गलत रूप से कम किया गया विषय पर वित्त मंत्रालय- सीबीडीटी (राजस्व विभाग) वित्त सीबीडीटी और पश्चिम बंगाल, सिक्किम क्षेत्र के आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त के साथ औपचारिक चर्चा की; (तीन) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वर्ष 2017 के प्रतिवेदन संख्या 28 पर आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपंजीकरण विषय पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं वित्त विभाग) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा।</p> <p>देवघर-(एक) झारखंड क्षेत्र के विशेष संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वर्ष 2016 के प्रतिवेदन संख्या 30 पर आधारित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना विषय पर विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा विद्युत वित्त निगम लि० के सीएमडी, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लि० (जेयूबीएनएल) और झारखंड सरकार विद्युत सचिव के साथ अनौपचारिक चर्चा; (दो) रांची, झारखंड क्षेत्र के विशेष संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्रमशः पैरा संख्या 2.2 और 2.5 पर आधारित अस्थायी वस्तुओं का मूल्यांकन और अपात्र निर्धारितियों को अनुमत की गयी कटौती विषय पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीडीटी) और बिहार एवं झारखंड क्षेत्र के आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त के साथ औपचारिक चर्चा की; (तीन) रांची/झारखंड क्षेत्र के विशेष संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं० 26 के पैरा 2.1 पर आधारित भारतीय रेल में</p>

1	2	3	4	5
				<p>तुलाचौकियों का निष्पादन विषय पर रेल मंत्रालय—रेलवे बोर्ड और दक्षिण पूर्व रेल (एसईआर), पूर्व रेल (ईआर) और पूर्व मध्य-रेल (ईसीआर) के जीएम के साथ अनौपचारिक चर्चा।</p> <p><b>मुंबई:</b> (एक) वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (सीबीडीटी) के प्रतिनिधियों और प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, मुंबई क्षेत्र के साथ मुंबई/महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ में सी एंड एजी के वर्ष 2016 की रिपोर्ट संख्या 28 के क्रमशः पैरा संख्या 2.10, 3.3 और 3.5 पर आधारित 'आंतरिक/निजी उपयोग के लिए विकसित संरचनात्मक सुविधा पर कटौती', 'अनुमेय अवधियों के बाद अनुमत कटौती' और 'विघटन/ एकीकरण के परिणाम' विषयों के संबंध में अनौपचारिक चर्चा की; (दो) वित्त मंत्रालय—वित्तीय सेवा विभागों के प्रतिनिधियों और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के मुख्य प्रबंध निदेशकों के साथ सी एंड एजी के वर्ष 2017 की रिपोर्ट संख्या 28 पर आधारित 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूँजीकरण' विषय के संबंध में अनौपचारिक चर्चा की; (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के प्रतिनिधियों, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि॰ (एचपीसीएल) और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि॰ (आईओसीएल) के मुख्य प्रबंध निदेशकों के साथ सी एंड एजी के वर्ष 2016 की रिपोर्ट संख्या 25 पर आधारित 'पहल (डीबीटीएल) योजना का कार्यान्वयन (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना)' विषय के संबंध में अनौपचारिक चर्चा की; और (चार) पेट्रोलियम और</p>

1	2	3	4	5
				प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) और ऑयल और प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लि० (ओएनजीसी) के प्रतिनिधियों के साथ सी एंड एजी के वर्ष 2016 की रिपोर्ट संख्या 11 के अध्याय-चौदह पर आधारित वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए केजी-डब्ल्यूएन-98/3 ब्लॉक के हाइड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता संविदा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा' विषय के संबंध में अनौपचारिक चर्चा की।
3.	21.04.2018 से 22.04.2018 (दो दिन)	श्री भुवनेश्वर कालिता, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा, श्री अनुराग ठाकुर	शिमला और चण्डीगढ़	<p>शिमला: (एक) सी एंड एजी के वर्ष 2016 की रिपोर्ट संख्या 28 पर आधारित 'अवसरचना विकास राजस्व में लगे निर्धारितियों को कटौती की अनुमति' विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग - सीबीडीटी) के प्रतिनिधियों और प्रधान सीसीआईटी उत्तर पश्चिम क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा; (दो) सी एंड एजी के वर्ष 2016 की रिपोर्ट संख्या 19 के पैरा संख्या 2.2 पर आधारित भारतीय सेना में राशन की आपूर्ति शृंखला प्रबंधन-अनुवर्ती लेखापरीक्षा' विषय के संबंध में रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा; (तीन) हिमाचल प्रदेश के विशेष संदर्भ में सी एंड एजी के वर्ष 2016 की रिपोर्ट संख्या 30 पर आधारित 'पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी)' विषय के संबंध में मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश और फॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा।</p> <p>चण्डीगढ़: (एक) सी एंड एजी के वर्ष 2016 की रिपोर्ट संख्या 41 पर</p>

1	2	3	4	5
				<p>आधारित 'बकाए की वसूली: वसूल सेल को मामले हस्तांतरित नहीं करना' विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सीबीईसी के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा; (दो) सी एंड एजी के वर्ष 2017 की रिपोर्ट संख्या 36 पर आधारित भारतीय रेल के यात्री कोचों में बायो-टॉयलेट का अधिष्ठापन' विषय के संबंध में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों और महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे के साथ अनौपचारिक चर्चा की; (तीन) 'सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में अशोध्य ऋण' विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के प्रतिनिधियों और प्रबंधन निदेशक इंडिया इंफास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि (आईआईएफसीएल) प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और मुख्य प्रबंध निदेशक स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अनौपचारिक चर्चा की; (चार) सी एंड एजी के वर्ष 2018 की रिपोर्ट संख्या 4 पर आधारित 'डॉ॰ अम्बेडकर होटल प्रबंध खान-पान व्यवस्था एवं पोषाहार संस्थान द्वारा सीपीडब्ल्यूडी दर का गलत भुगतान जिसके परिणामस्वरूप 61.46 लाख रुपए का अधिक भुगतान हुआ, विषय के संबंध में पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।</p>



## परिशिष्ट आठ

(देखिए पैरा 2.2)

प्राक्कलन समिति (2017-18) की संरचना

डॉ० मुरली मनोहर जोशी — सभापति

सदस्य

2. श्री ए० अरुणमणिदेवन
3. श्री जॉर्ज बेकर
4. श्री कल्याण बनर्जी
- \*5. श्री रमेश बिधूडी
6. श्री दुष्यंत चौटाला
7. श्री राम टहल चौधरी
8. कर्नल सोनाराम चौधरी
- §9. डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
10. श्री रमेन डेका
- ¶11. श्री कलिकेश नारायण सिंह देव
12. श्री संजय धोत्रे
13. श्री पी०सी० गद्दीगौदर
14. श्री प्रकाश बा० हुक्केरी
15. श्रीमती कविता कलवकुंतला
16. श्रीमती रक्षाताई खडसे
17. डॉ० संजय जायसवाल
18. श्री पी० कुमार
19. श्री राजेश पाण्डेय
20. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
21. डॉ० भागीरथ प्रसाद
22. श्रीमती रंजीत रंजन
23. श्री कोनाकल्ला नारायण राव

24. श्री वार्ड्‌वी० सुब्बा रेड्डी
- %25. श्री राजीव प्रताप रूडी
26. श्री अरविंद सावंत
27. श्री अर्जुन चरण सेठी
28. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
29. श्री जुगल किशोर
30. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

- 
- \* श्री अश्विनी कुमार चौबे के मंत्री पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनके स्थान पर निर्वाचित, देखें दिनांक 22.12.2017 को लोक सभा समाचार भाग-दो सं० 6141.
- \$ श्री सुल्तान अहमद, संसद सदस्य के दुखद निधन के कारण उनके स्थान पर निर्वाचित, देखें दिनांक 22.12.2017 का लोक सभा समाचार भाग-दो सं० 6141.
- & श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के मंत्री पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनके स्थान पर निर्वाचित, देखें दिनांक 22.12.2017 का लोक सभा समाचार भाग-दो सं० 6141.
- % श्री नाना पटोले के मंत्री पद पर नियुक्ति लोक सभा से त्यागपत्र के कारण, उनके स्थान पर निर्वाचित, देखें दिनांक 22.12.2017 का लोक सभा समाचार भाग-दो सं० 6141.

## परिशिष्ट नौ

(देखिए पैरा 2.4)

प्राक्कलन समिति (2016-17) की बैठकों का ब्यौरा तथा अवधि दर्शाने वाला विवरण

सदस्यों की उपस्थिति तथा विषय, जिन पर चर्चा की गई

क्र० सं०	बैठक की तारीख	से (घंटे: मिनट)	तक (घंटे: मिनट)	अवधि (घंटे: मिनट)	उपस्थित सदस्यों की संख्या	चर्चा किए गए विषय
1	2	3	4	5	6	7
1.	12.05.2017	1130	1300	1 घंटा 30 मिनट	14	वर्ष 2017-18 के दौरान जांच हेतु विषयों के चयन के बारे में ज्ञापन सं० 1 पर विचार करना।
2.	12.05.2017	1430	1735	3 घंटे 05 मिनट	15	'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्य-निष्पादन' विषय के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
3.	21.06.2017	1500	1800	3 घंटे 00 मिनट	15	'सशस्त्र बलों की तैयारी-रक्षा उत्पादन और अधिप्राप्ति' विषय के संबंध में रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
4.	11.07.2017	1100	1330	2 घंटे 30 मिनट	15	'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्य-निष्पादन' विषय के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
5.	11.07.2017	1500	1745	2 घंटे 45 मिनट	19	'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्य-निष्पादन' विषय के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।

1	2	3	4	5	6	7
6.	12.07.2017	1100	1330	2 घंटे 30 मिनट	15	'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्य-निष्पादन' विषय के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
7.	12.07.2017	1430	1725	2 घंटे 55 मिनट	15	'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्य-निष्पादन' विषय के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
8.	08.08.2017	1500	1640	1 घंटा 40 मिनट	19	प्रारूप प्रतिवेदन (प्रतिवेदनों) पर विचार करना और स्वीकार करना।
9.	21.08.2017	1500	1745	2 घंटे 45 मिनट	15	'वृद्धि, रोजगार और आय मापन' के संबंध में (एक) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, (दो) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) और (तीन) श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
10.	22.08.2017	1130	1330	2 घंटे 00 मिनट	19	'शिक्षा' विषय के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
11.	22.08.2017	1430	1700	2 घंटे 00 मिनट	19	'शिक्षा' विषय के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
12.	26.09.2017	1130	1330	2 घंटे 00 मिनट	21	'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्य-निष्पादन' विषय के संबंध में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
13.	26.09.2017	1500	1830	3 घंटे 30 मिनट	20	'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का कार्य-निष्पादन' विषय के संबंध में (एक) शहरी विकास मंत्रालय, (दो) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, (तीन) ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
14.	27.09.2017	1500	1600	1 घंटे 00 मिनट	10	भावी कार्यक्रम पर चर्चा।

1	2	3	4	5	6	7
15.	10.10.2017	1500	1615	1 घंटा 15 मिनट	17	'पंचायती राज' विषय के संबंध में नीति आयोग के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
16.	10.10.2017	1615	1745	1 घंटा 30 मिनट	17	'वृद्धि रोजगार और आय मापन' के संबंध में नीति आयोग के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
17.	01.11.2017	1500	1625	1 घंटा 25 मिनट	14	प्रारूप प्रतिवेदन (प्रतिवेदनों) पर विचार करना और स्वीकार करना।
18.	16.01.2018	1500	1815	3 घंटे 15 मिनट	11	'शिक्षा' विषय की जांच के संबंध में विशेषज्ञों के विचार सुनना।
19.	17.01.2018	1100	1350	2 घंटे 50 मिनट	14	'शिक्षा' विषय की जांच के संबंध में विशेषज्ञों के विचार सुनना।
20.	17.01.2018	1430	1700	2 घंटे 30 मिनट	13	'शिक्षा' विषय की जांच के संबंध में विशेषज्ञों के विचार सुनना।
21.	19.02.2018	1130	1420	2 घंटे 50 मिनट	16	'शिक्षा' विषय के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
22.	19.02.2018	1500	1740	2 घंटे 40 मिनट	18	'शिक्षा' विषय के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य।
23.	20.02.2018	1130	1300	1 घंटा 30 मिनट	12	प्रारूप प्रतिवेदन (प्रतिवेदनों) पर विचार करना और स्वीकार करना।
24.	26.04.2018	1430	1530	1 घंटा 00 मिनट	7	प्रारूप प्रतिवेदन (प्रतिवेदनों) पर विचार करना और स्वीकार करना। (कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि, गणपूर्ति नहीं थी)

परिशिष्ट दस

(देखिए पैरा 2.6)

प्राक्कलन समिति (2017-18) की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति  
की संख्या दर्शाने वाला विवरण

अवधि के दौरान कुल बैठकों की संख्या 24

1. डॉ० मुरली मनोहर जोशी	24
2. श्री सुल्तान अहमद	05
डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)#	05
3. श्री ए० अरुणमणिदेवन	09
4. श्री जॉर्ज बेकर	11
5. श्री कल्याण बनर्जी	12
6. श्री दुष्यंत चौटाला	09
7. श्री अश्विनी कुमार चौबे	11
श्री रमेश बिधूड़ी®	06
8. श्री राम टहल चौधरी	11
9. कर्नल सोनाराम चौधरी	20
10. श्री रमेन डेका	12
11. श्री संजय धोत्रे	19
12. श्री पी०सी० गद्दीगौदर	14
13. श्री प्रकाश बा० हुक्केरी	10
14. डॉ० संजय जायसवाल	09
15. श्रीमती कविता कलवकुंतला	05
16. श्रीमती रक्षाताई खडसे	17
17. श्री पी० कुमार	12
18. श्री राजेश पाण्डेय	15
19. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	18
20. श्री नाना पटोले	09
श्री राजीव प्रताप रूडी^	04
21. डॉ० भागीरथ प्रसाद	11

22.	श्रीमती रंजीत रंजन	04
23.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव	09
24.	श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी	11
25.	श्री अरविंद सावंत	17
26.	श्री अर्जुन चरण सेठी	01
27.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	24
28.	श्री जुगल किशोर	10
29.	श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	03
	श्री कलिकेश नारायण सिंह देव <sup>%</sup>	01
30.	श्री जय प्रकाश नारायण यादव	12

---

# श्री सुल्तान अहमद, के दुखद निधन के कारण उनके स्थान पर निर्वाचित, देखें दिनांक 22.12.2017 का लोक सभा समाचार भाग-दो सं० 6141 ।

© श्री अश्विनी कुमार चौबे के मंत्री पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनके स्थान पर निर्वाचित, देखें दिनांक 22.12.2017 का लोक सभा समाचार भाग-दो सं० 6141 ।

^ श्री नाना पटोले के लोक सभा से त्यागपत्र के कारण, उनके स्थान पर निर्वाचित, देखें दिनांक 22.12.2017 का लोक सभा समाचार भाग-दो सं० 6141 ।

% श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को मंत्री के पद पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनके स्थान पर निर्वाचित, देखें दिनांक 22.12.2017 का लोक सभा समाचार भाग-दो सं० 6141 ।

परिशिष्ट ग्यारह

(देखिए पैरा 3.3)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2017-18) की संरचना

श्री शांता कुमार — सभापति

लोक सभा

2. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
3. श्री रमेश बैस
4. श्री जी० हरि
5. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
6. डॉ० हरिबाबू कंभमपति
7. श्री कृष्णप्पा निम्मला
8. श्री अजय निषाद
9. श्री बी० विनोद कुमार
10. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
11. प्रो० सौगत राय
12. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सवाईकर
13. श्री रवनीत सिंह
14. श्री सुशील कुमार सिंह
15. श्री रमेश्वर तेली

राज्य सभा

16. श्री नरेन्द्र बुढानिया
17. श्री नरेश गुजराल
18. श्री शमशेर सिंह मन्हास
19. श्री प्रफुल्ल पटेल
20. श्री ए० के० सेल्वराज
21. श्री तपन कुमार सेन
22. श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह



परिशिष्ट बारह

(देखिए पैरा सं० 3.6)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों की अवधि और तिथियों, सदस्यों की उपस्थिति और उन विषयों जिन पर विचार-विमर्श किया गया, को दर्शाने वाला विवरण 2017-2018

कुल बैठकें: 18

बैठक सं०	बैठक की तिथि	समय से	तक	अवधि घंटे	उपस्थित सदस्यों की संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का%	सत्रावधि/अंतर-सत्रावधि	विषय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
पहली	15.05.2017	1100	1120	0	20	15	07	68	अंतर-सत्रावधि	वर्ष 2017-18 के दौरान, जांच के लिए विषयों की जांच के संबंध में ज्ञापन सं० एक पर विचार किया जाना।
दूसरी	07.06.2017	1100	1230	1	30	13	09	59	अंतर-सत्रावधि	(एक) जल विद्युत क्षेत्र के सीपीएसई द्वारा आपदा प्रबंधन सहित क्षमता उपयोग, विद्युत



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								प्रणाली' विषय पर वर्ष 2016 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं० 20 (अनुपालना लेखा प्रतिवेदन) पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी दिया जाना।
पांचवी	27.07.017	1500 1515	0 15	13	09	59	सत्रावधि	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।
छठी	28.08.2017	1100 1240	1 40	11	11	50	अंतर-सत्रावधि	(एक) पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पीजीसीआईएल पर

समिति (2016-17) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के कार्यानिष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं 18 पर आधारित (दो) बीबीएनएल की विस्तृत जांच के संबंध में इसके प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

सातवीं	14.09.2017	1100 1200	1 00	18	04	81.8	अंतर-सत्रावधि	'सीपीएसयू में कार्रपोरेट गवर्नेंस विषय की जांच से संबंधित कार्रपोरेट कार्य मंत्रालय
--------	------------	-----------	------	----	----	------	---------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आठवीं	26.09.2017	1100 1310	2 10	13	9	59	अंतर-सत्रावधि	के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी दिया जाना।  'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय पर एफएसीटी, एचएएल, एमटीएनएल और बीपीआरएल के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
नौवीं	27.09.2017	1100 1230	1 30	9	13	40.9	अंतर-सत्रावधि	'जेनेरिक दवाओं के विशेष संदर्भ में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के भेषज उपक्रमों की भूमिका और कार्यनिष्पादन' विषय पर एनपीपीए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

दसर्वी	11.10.2017	1100 1255	1 55	10	12	45	अंतर-सत्रावधि	मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा संक्षिप्त जानकारी दिया जाना। 'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय के संबंध में इंस्ट्रमेंटेशन लि० के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
न्यारहवीं	12.10.2017	1100 1250	1 50	13	9	59	अंतर-सत्रावधि	'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि० के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
बारहवीं	14.11.2017	1100 1200	1 00	12	10	54	अंतर-सत्रावधि	(एक) आईआरसीटीसी पर समिति (2016-17) के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर प्रारूप की-गई-कार्रवाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना। (दो) 'घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में एचएससीएल के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
तेरहवीं	15.11.2017	1100 1220	1 20	14	8	63.63	अंतर-सत्रावधि	'घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में एचएससीआईएल के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

चौदहवीं	28.11.2017	1100 1312	02 02	11	11	50	अंतर-सत्रावधि	'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
पंद्रहवीं	29.11.2017	1100 1215	01 15	13	9	59	अंतर-सत्रावधि	'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में एचएमटी लि० के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
सोलहवीं	07.12.2017	1100 1240	1 40	11	11	50	सत्रावधि	एचपीसी लि०, एचएमटी लि० और इस्ट्रुमेंटेशन लि० के विशिष्ट संदर्भ में 'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में भारी उद्योग



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
सत्रहवीं	08.12.2017	1108 1240	1	32	10	54	सत्रावधि	एमटीएनएल और बीएसएनएल के विशिष्ट संदर्भ के साथ 'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में संचार मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
अठारहवीं	24.01.2018	1105 1320	2	15	11	50	सत्रावधि	(एक) इरेडा के प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

(दो) एफएसीटी के विशेष संदर्भ में 'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

(तीन) एचएएल के विशेष संदर्भ में 'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय की जांच के संबंध में भेषज विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय के संबंध में

अंतर-सत्रावधि

63.63

8

14

30

01

1100 1230

21.02.2018

उन्नीसवीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीसवीं	22.02.2018	1100 1150	00	50	10	45	अंतर-सत्रावधि	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य। 'घाटे में चल रहे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा' विषय के संबंध में राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

परिशिष्ट तेरह

(देखिए पैरा 3.6)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2017-18) की अवधि आरंभ होने से  
30 अप्रैल, 2018 तक समिति की हुई कुल बैठकें तथा इसके सदस्य  
कितनी बैठकों में शामिल हुए को दर्शाने वाला विवरण  
कुल बैठकों की संख्या : 20

क्रम सं०	सदस्यों के नाम	बैठकों की संख्या
		सदस्य
		लोक सभा
	श्री शान्ता कुमार—सभापति	18
2.	श्री एल० के० अडवाणी	15
3.	श्री रमेश बैस	13
4.	श्री जी० हरि	14
5.	श्री रवीन्द्र कुमार जेना	10
6.	डॉ० हरि बाबू कम्भमपति	05
7.	श्री कृष्णा निम्माला	13
8.	श्री अजय निषाद	14
9.	श्री बी० विनोद कुमार	09
10.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	18
11.	प्रो० सौगत राय	12
12.	एडवोकेट नरेन्द्र केशव सर्वाइकर	10
13.	श्री रवनीत सिंह	05
14.	श्री सुशील कुमार सिंह	07
15.	श्री रामेश्वर तेली	17
		राज्य सभा
16.	श्री नरेन्द्र बुडानियां	11
17.	श्री नरेश गुजराल	14
18.	श्री शमसेर सिंह मन्हास	13
19.	श्री प्रफुल्ल पटेल	06
20.	श्री ए० के० सेल्वराज	03
21.	श्री तपन कुमार सेन	15
22.	श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह	07